CON. 3. 4.4.47
1000

अंक 4
संख्या 4

बृहस्पतिवार
17 जुलाई,
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धांतों के सम्बन्ध में रिपोर्ट (खण्ड 9 से 18)
–गत संख्या से आगे 1

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, 17 जुलाई सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की बैठक तीन बजे दिन को कांस्टीट्यूशन हाल नई दिल्ली में माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

***अध्यक्ष:** कल हमने अनुकरणीय प्रांतीय विधान के सिद्धान्तों से सम्बन्धित रिपोर्ट के खण्ड 8 को एक छोटी कमेटी के पास भेज दिया था। मुझे मालूम हुआ है कि कमेटी किसी निर्णय पर पहुंच गई है और उसने एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट आज सदस्यों के पास भेज दी जायेगी और कल उस खण्ड पर विचार होगा। अब हम खण्ड 9 पर विचार करेंगे।

खण्ड 9

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बंबई: जनरल): मैं खण्ड 9 को पेश करता हूं। उसमें कहा गया है:

> **''एक मन्त्रिमंडल होगा जो गवर्नर को उसके कर्त्तव्यपालन में सहायता व सलाह देगा, सिवाय उस दशा के जब कि उसे इस विधान द्वारा या इसके अधीन अपने कर्त्तव्यों का या अपने किसी कर्त्तव्य का अपने विवेक से पालन करने के लिये आदेश न हो।''**

इस खण्ड में यह व्यवस्था की गई है कि एक मंत्रिमंडल होगा जो गवर्नर को उसके कर्त्तव्यपालन में सहायता व सलाह देगा। लेकिन एक अपवाद है यानी सिवाय उस दशा के जब कि प्रस्तावित विधान के अनुसार उसे अपने कर्त्तव्यों या अपने किसी कर्त्तव्य का अपने विवेक से पालन करने का आदेश हो। इन बातों का उल्लेख बाद को आने वाले खण्डों में होगा, इसलिये सिर्फ एक व्याख्यात्मक नोट जोड़ दिया गया है। इसलिए मैं सिर्फ खण्ड 9 को पेश करूंगा और नोट को या उसके अधीन दिये हुये खण्डों को पेश न करूंगा क्योंकि उनका उल्लेख अन्य खण्डों में किया गया है। श्रीमान्, मैं खण्ड 9 को पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** मुझे इस खण्ड में कई संशोधनों की सूचना मिली है। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने पेश किये जायेंगे।

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

***श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई** (मद्रास: जनरल): अल्पसंख्यकों की कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसलिये मैं अपने संशोधन को इस समय पेश नहीं कर रहा हूं।

(सर्वश्री आर.के. सिधवा, एच.जे. खाण्डेकर और एच.वी. कामठ ने अपने संशोधनों को पेश नहीं किया। अन्य सदस्य, जिन्होंने संशोधनों की सूचना दी थी उपस्थित नहीं थे)।

***अध्यक्ष:** जहां तक मि. पोकर साहब बहादुर के संशोधन का सम्बन्ध है, वह एक ऐसे संशोधन पर संशोधन है जो पेश नहीं किया गया है; इसलिये वह पेश नहीं हो सकता है। चूंकि कोई भी संशोधन पेश नहीं किये गये हैं, इसलिये प्रस्तावित मूल खण्ड पर अब बहस हो सकती है। कोई सदस्य उस पर नहीं बोलना चाहता इसलिये मैं उस पर वोट लेने के लिये सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार कर लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 10

***सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 10 स्वीकार कर लिया जाये। उसमें कहा गया है:

''यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई मामला गवर्नर के विवेक से तय होगा या नहीं तो गवर्नर अपने विवेक से जो निर्णय देगा वह अन्तिम होगा।''

भाषा के सम्बन्ध में कुछ सन्देह प्रकट किये गये हैं लेकिन मेरे विचार में यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो अंतिम मसविदा बनाते समय भाषा के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जहां तक इस प्रस्ताव के सिद्धांत का सम्बन्ध है, उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

(कोई भी संशोधन पेश नहीं किये गये)

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 11

***सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, मैं खण्ड 11 को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं। उसमें कहा गया है:

''कोई अदालत इस सम्बन्ध में जांच नहीं करेगी कि किसी प्रश्न पर मंत्रियों ने गवर्नर को सलाह दी है या नहीं और अगर दी है तो क्या सलाह दी है?''

यह स्पष्ट है कि यदि गवर्नर को कोई मंत्री सलाह देता है तो वह ऐसा विषय नहीं है जो किसी अदालत में पेश किया जाये। इसलिये यह एक साधारण खण्ड है और इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान्, मैं इसे पेश करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 12

***सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 12 स्वीकार कर लिया जाये। उसमें कहा गया है:

''गवर्नर के मंत्री गवर्नर द्वारा चुने जायेंगे और बुलाये जायेंगे और वे उसी काल तक पदासीन रहेंगे जब तक उसकी इच्छा हो।''

श्री अज़ीज़ अहमद खां (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): जनाब सदर साहब, जो तज़वीज आपके सामने पेश की गयी है उसके अलफाज यह हैं कि गवर्नर अपने वजीरों को मुकर्रर करेगा और जिस वक्त तक वह चाहेगा उस वक्त तक उसके वजीर वजारत की हैसियत से काम करते रहेंगे। इस तज़वीज के बजाय मैं जनाब वाला की खिदमत में इसलिये हाजिर हुआ हूं कि यह तरमीम पेश करूं कि गवर्नर के वजीर इस तरह से बजरिये इंतखाव मुन्तखब हुआ करें कि असेम्बली के मेम्बरान सिंगल नान ट्रांस्फरेबल वोट से अपनी राय का इजहार करते हुये उनको मुन्तखब करें। जो तज़वीज़ सरदार पटेल साहब ने जनाब की खिदमत में पेश की है वह असल में उस तरीके पर नहीं है कि जिसके ज़रिये से इंगलिस्तान में वजीर मुकर्रर किये जाते हैं। यानी अंग्रेज़ी दस्तूर में यह तरीका है कि वहां इन्तखाब जब आम खत्म हो जाता है तो यह देखा जाता है कि जो दारुलअवाम बना है उसमें कितनी सियासी जमात आई हैं और इनमें सबसे

[श्री अज़ीज अहमद खाँ]

बड़ी तादाद किस जमात की है या कोई और जमातें इस किस्म की हैं कि जो दूसरों से मिल कर इतनी माकूल तादाद रखती हैं जिससे वह दीगर मेम्बरान पर गालिब आ जायेगी। ऐसी जमात को यह हक दिया जाता है कि वह एक वजीरे आज़म मुकर्रर कर दे और वह वजीरे आजम वज़ीरों के नाम की सिफारिश कर दे। चुनाचे उसकी सिफारिश पर वही वजारत में आ जाते हैं। यही तरीका हमारे दस्तूर में भी तजवीज किया गया है। लेकिन जो तरीका मैं अपना इस तरमीम में पेश कर रहा हूं यह कोई नया तरीका नहीं है। दुनिया में बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहां इस तरीके पर अमल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर जनाब वाला तहकीकात फरमायेंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त अमरीका में भी यही तरीका है कि वहां वजीरों का ताअय्युन (मुकर्रर) नामजदगी से नहीं होता है। बल्कि इन्फारादी तौर पर राय लेते हैं जिसके जरिये से वजीर मुन्तखिब होते हैं। इन्तखाब इसी तरह से स्वीट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया में भी वज़ीरों का होता है। और जनाब अगर मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा कि तमाम ऐसे मामलों को जिनमें फिरकेबन्दी और जमातबन्दी मौजूद है; उनके यहां भी यही तरीका रखा गया है कि वजीरों के तकरूर में उन तमाम जमातों का हाथ होता है जिनके ऊपर वे वजीर हुकूमत करने वाले हों ताकि हर जमात को वजारत पर ऐतकाद हो।

हमने जहां तक गौर किया तो यह पाया कि अंग्रेजी तरीका जम्हूरियत हिन्दुस्तान के लिये बिलकुल मौजू नहीं है। हम इस तरीके जम्हूरियत का नतीजा देख रहे हैं कि जो कुछ इस मुल्क में बदअमनी व कश्त व खून इस वक्त जारी है उसकी खास वजह यही है कि हमने वह तरीका जम्हूरियत जारी किया जो हर एक के लिये हर्गिज मौजू नहीं। अगर हमने हुकूमत का नकशा ऐसे दिमाग से ईजाद करने के बाद जारी किया होता तो यह गालिबान ऐसी बाहमी नफरत और इख्तलाफात पैदा न हुऐ होते जो आज पैदा होते जा रहे हैं। लिहाजा हमको यह चाहिये और मुनासिब तरीका यही है कि वजीरों का इन्तखाब आम राय से हुआ करे। इससे यह फायदा होगा कि जिन लोगों के वह वज़ीर होने वाले हैं उनको हर वक्त अपनी रायदेहन्दों से हमदर्दी का ख्याल रहेगा और जम्हूरियत का उसूल भी मुकम्मिल हो जायेगा। और अगर ऐसा न किया गया और अंग्रेजी तरीके ही पर इक्तफा की गई तो मैं ख्याल करता हूं कि यह तरीका मौजू नहीं होगा।

जनाब वाला, आज जो जमातें बनी हुई हैं उनमें से सियासी ऐतकादात पर बहुत कम हैं बल्कि मज़हबी ऐतकादात पर बहुत ज्यादा हैं। और यह वे जमातें हैं जो आज नहीं बनीं बल्कि सैकड़ों वर्ष से और इसी हालत में हजारों साल से चली

आ रही हैं। कौन नहीं जानता कि अछूत जमात हजारों वर्ष से जिन्दा नहीं है और यह तस्व्वुर करना कि दस्तूर बनते ही मज़हबी उसूलों की जमातबन्दी खतम होकर खालिसन सयासी और इक्तसादी नजरियों पर जमातबंदी हो जायेगी, एक ख्याल खाम है।

अगर हम यह समझें कि अंग्रेजी तरीका जम्हूरियत की, जिसमें कि निजाम जमातों का खालसन सियासी ऐतकादात की बदौलत है, वही हालत हम भी अपने मुल्क में पैदा कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत खौफनाक तजुरबा होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के ऐसे मुमालिक जहां हमेशा आपस में इख्तलाफात रहते थे, उन्होंने भी यही तरीका इन्तखाब वजारत रखा जिसमें वह कामयाब हुये। इस कामयाबी की खास वजह यह थी कि जब कोई शख्स किसी को वजीर इन्तखाब करने में राय देगा तो कुछ न कुछ उसको आयन्दा उससे तवक्कुब जरूर होगी और कुछ न कुछ वह उसके लिये अच्छाई जरूर करेगा। लिहाजा ऐसा ही तरीका अगर हिन्दुस्तान के वास्ते अख्तियार किया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा।

अंग्रेजी तालीम होने की वजह से हमने कोई अपना तरीका नहीं अख्तियार किया। अंग्रेजों ने यह समझकर कि जिस तरीके से हम कामयाब हुये हैं उस ही तरीके को अपने मतलब के हासिल करने की गरज से हिन्दुस्तान में भी रायज़ करना चाहिये। उन्होंने ऐसा ही किया और वह उसमें कामयाब हो गये। हमको अंग्रेजों के तरीके को तर्क करना चाहिये और उससे बेहतर तरीका अख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिये। मुझे यकीन है कि अगर हम वजीरों का इन्तखाब आम राय से करेंगे तो यह तरीका उस तरीके से बहुत अच्छा होगा। इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो मैंने तरमीम पेश की है वह औरों को काबिले-कबूल होगी।

एक बात और अर्ज करूं कि जिस वक्त यह तज़वीज़ पेश होने वाली थी, तो मुझे ज्यादा गौर करने का मौका नहीं मिला और तरमीम के अलफाज मुकम्मिल न लिखे जा सके; इसलिये आप इसके अलफाज पर निगाह न करें बल्कि तरमीम के उसूल को देखें। असल तज़वीज में वज़ीरों की नामजदगी और तरमीम में उनका इंतखाब पेश किया गया है। अगर जनाब मेरे बताये हुए उसूल को पसन्द फरमायेंगे तो मुकम्मिल तजवीज़ मसविदा तैयार होते वक्त बन जायेगी।

***श्री के.टी.एम. अहमद इब्राहीम साहब** (मद्रास: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 12 में अभी मि. अजीज अहमद खां ने जो संशोधन पेश किया है उसमें ये शब्द जोड दिये जायें:

''और वे प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे।''

यह एक बहुत साधारण संशोधन है और सभी लोकतंत्रों के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। श्रीमान्, मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। यह एक ऐसा मौलिक सिद्धांत है जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है।

रिपोर्ट में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है वे ऐसे हैं कि गवर्नर को राज्य के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। संक्षेप में राज्य के सभी अधिकार एक व्यक्ति विशेष में केन्द्रीभूत हो जाते हैं और मैं कहूंगा कि एक ही आदमी के हाथ में इतनी शक्ति हो जाना राज्य के लिये बहुत खतरनाक है, चाहे वह आदमी कितना ही प्रतिष्ठित हो और कैसे ही लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया हो। यह सच है कि खण्ड 9 के नोट में कहा गया है कि प्रस्तावित विधान में गवर्नर लोगों द्वारा चुना जायेगा, ताकि अपने विवेक से काम में लाने के लिये उसे जो अधिकार दे दिये गये हैं उनका वह दुरुपयोग न करे। लेकिन इसे स्वीकार करना चाहिये कि ऐसे सब अधिकार किसी एक आदमी को दे देना खतरनाक है, चाहे वह किसी भी ढंग से चुना जाये।

आगे खण्ड 13 में भी कहा गया है कि साधारणतया उत्तरदायी शासन की प्रथाओं से गवर्नर का पथ-प्रदर्शन होगा, लेकिन किसी ऐसी प्रथा का अनुसरण करना उसके लिये अनिवार्य न होगा। फिर यदि इस सम्बन्ध में मतभेद हो कि उसने उन प्रथाओं के अनुसार कार्य किया है या नहीं, तो गवर्नर से सम्बन्धित कानून पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि गवर्नर से मंत्रियों का सम्बन्ध और उनका उससे व्यवहार बिल्कुल गवर्नर के विवेक पर न छोड़ देना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली लोकतंत्र के किसी सिद्धांत से भी सम्मत नहीं है। यदि यह व्यवस्था रहने दी जाये तो मंत्री केवल सलाहकार हो जाते हैं और व्यवस्थापिका केवल एक सलाहकार समिति हो जाती है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि मंत्री प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हों और वे सम्बन्धित प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा चुने जायें। यदि ऐसा न किया जाये तो इसकी सम्भावना बनी रहेगी कि गवर्नर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे और लोगों के अधिकारों में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करे। लोकतंत्र शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये ही हम चाहते हैं कि मंत्री

व्यवस्थापिका के प्रति और व्यवस्थापिका द्वारा अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी हो और किसी एक व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी न हो। सिद्धान्त यह है कि मंत्री व्यवस्थापिका द्वारा अन्तिम रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी हो और किसी एक आदमी के प्रति उत्तरदायी न हो, चाहे वह किसी भी तरीके से या किसी भी बहुमत से चुना गया हो। मुझे आशा है कि सभा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी क्योंकि यह मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर** (मद्रास: जनरल): मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं उस पर बोलना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** माननीय सदस्य बाद को बोल सकते हैं।

मि. अजीज अहमद खां के इस संशोधन में बेगम ऐजाज रसूल का एक दूसरा संशोधन है। क्या आप कृपा करके उसे पेश करेंगी?

***बेगम ऐज़ाज़ रसूल** (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): श्रीमान्, मैं यह पेश करना चाहती हूं कि मि. अजीज अहमद खां के खण्ड 12 में पेश किये हुये संशोधन में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

''और असेम्बली के जीवन-काल तक पदासीन रहेंगे।''

श्रीमान्, मैं यह संशोधन इस उद्देश्य से पेश कर रही हूं कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली और स्थायी रहे और वह किसी दल या व्यवस्थापिका की, जिसके प्रति वह उत्तरदायी हो, सनक और स्वेच्छाचारिता पर निर्भर न रहे। श्रीमान्, इंगलैंड और फ्रांस में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। हम देखते हैं कि फ्रांस में आये दिन क्या होता है? मंत्रिमंडल कमजोर रहता है और कई बार पदच्युत हो जाता है। जहां कहीं भी व्यवस्थापिका में दो दल से अधिक होते हैं ऐसा हमेशा होता रहता है। इसलिये भारतवर्ष में जहां लोकतंत्र अभी शैशवावस्था ही में है और जहां उत्तरदायित्व की भावना न तो पूर्वोचित है और न उन्नतावस्था में ही है। हमारे मंत्रिमंडल शक्तिशाली और स्थायी होने चाहिये ताकि वे दीर्घकालीन नीतियों को प्रयोग में ला सकें और अपने दलों के आंतरिक उथल-पुथल से अपने प्रतिदिन के कार्य में प्रभावित न हों। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भी फ्रांस की-सी दशा उत्पन्न हो। श्रीमान्, जब से सन् 1935 ई. में भारत सरकार का कानून प्रयोग में आया

[बेगम ऐज़ाज रसूल]

है, मेरा यह अनुभव रहा है कि प्रांतों में जहां मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अपने दल या व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करने पर गिर जाते हैं, वे किन्हीं दीर्घकालीन नीतियों को प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, वे प्रतिदिन अपने दल की भावनाओं से प्रभावित होते हैं और इसलिये स्वभावत: कमजोर होते हैं। इसलिये मैं यह अनुभव करती हूं कि जिस मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका चुने वह दीर्घजीवी हो, ताकि वह अपनी नीतियों को निर्धारित कर सके और अपने दल के मतमतांतर से प्रभावित न हो। हम अमेरिकन प्रणाली को स्वीकार कर सकते हैं जिसके अधीन अध्यक्ष अपनी प्रबन्धकारिणी को नामजद करता है। लेकिन यह हो सकता है कि हमारा देश उसके लिये तैयार न हो। परन्तु स्विस प्रणाली, जिसके अन्तर्गत व्यवस्थापिका एक नियत अवधि के लिये चुनती है और उस काल तक वह पदच्युत नहीं हो सकती, मेरे विचार से प्रांतों के लिये सबसे सुन्दर शासन प्रणाली है क्योंकि व्यवस्थापिका एक बार जिस मंत्रिमंडल को चुन लेती है वह उसके किसी अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। इसलिये मेरी राय में अपने देश की राजनैतिक व अन्य दशाओं को ध्यान में रखते हुए जो कुछ काल तक रहेंगी, स्विस प्रणाली ही बीच की सबसे सुन्दर प्रणाली है। प्रबन्धकारिणी की नियुक्ति के लिये मेरे विचार से सबसे अच्छी प्रणाली एकाकी हस्तान्तरित मतपद्धति है, क्योंकि उससे सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो जाता है और व्यवस्थापिका में किसी दल को यह सोचने का मौका न मिलेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। इसलिये मैं मि. अजीज अहमद खां के पेश किये हुए संशोधन का पूरे जोर से समर्थन करती हूं।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि मंत्रिमंडल का जीवन-काल वही हो जो कि असेम्बली का है, ताकि वह हटाया न जा सके।

मैं जो दूसरी बात बताना चाहती थी वह यह है कि हम जिस विधान को बना रहे हैं उसमें गवर्नर को, जो कि निर्वाचित गवर्नर होगा, इतनी शक्ति और विस्तृत अधिकार दे रहे हैं कि राज्य के किसी दूसरे अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाती; क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को विभिन्न विषय दे सकेगा, रस्मी अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकेगा और सभाओं में सभापति का पद ग्रहण कर सकेगा और मंत्रियों के कार्य का भी एकीकरण कर सकेगा। यह सब बातें गवर्नर और मंत्रियों के कर्त्तव्यों में सम्मिलित हैं। वे जिम्मेदार लोग होंगे और व्यवस्थापिका द्वारा चुने जायेंगे। वे नीति निर्धारित कर सकेंगे और अपनी दीर्घकालीन नीतियों

को अपने दल की स्वेच्छाचारिता से नहीं किन्तु अपनी ही सुदृढ़ स्थिति से कार्यरूप में ला सकेंगे। मेरा यह अनुभव है कि जहां कहीं मंत्री किसी दल के प्रतिनिधि होते हैं वे बिना अपने दल के सदस्यों से प्रभावित हुए प्रतिदिन का कार्य और शासनकार्य कर ही नहीं सकते। इससे स्वभावत: यह होता है कि मंत्रिमंडल कमजोर होता है और शासन-प्रबन्ध ठीक नहीं होता क्योंकि मंत्रियों को अपने दल के लोगों को खुश करने के लिये कई ऐसी बातें करनी होती हैं जो शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से अच्छी नहीं होती। इसलिये मैं आशा करती हूं कि मेरे इस संशोधन को, जिसे मैंने प्रांतों में शक्तिशाली और स्थायी सरकारें स्थापित करने के उद्देश्य से पेश किया है, यह सभा स्वीकार कर लेगी। (*उच्च हर्षध्वनि*)

(श्री बी.एम. गुप्ते ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।)

***अध्यक्ष:** मेरे विचार में यही सब संशोधन हैं। अब इस खण्ड और संशोधनों पर बहस हो सकती है।

श्री सेठ गोविन्ददास (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): सभापति जी, मैं, अजीज अहमद साहब ने जो सुधार पेश किया है और उनके सुधार पर जो दो सुधार और पेश हुए हैं, उनका विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। अजीज अहमद साहब ने अमरीका का दृष्टांत दिया और यह बतलाया कि वहां पर मिनिस्टरों का चुनाव हुआ करता है और हमको, जो अंग्रेजों की पद्धति है, उस पर न चलकर अमरीका की पद्धति पर चलना चाहिये। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमरीका के जो मंत्री होते हैं वे वहां पर जो कानूनी सभा है उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होते। बहुत से देशों में जहां उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है उनके विधान को यदि हम देखें तो हमको यह जान पड़ेगा कि प्रधान मंत्री उस दल के द्वारा चुने जाते हैं, जिस दल का वहां की परिषद् में बहुमत होता है और वह अपने साथियों को चुनते हैं। जहां तक गवर्नर के नामों को स्वीकार करने का प्रश्न है, वहां तक गवर्नर तो उन मंत्रियों को स्वीकार कर ही लेता है जो प्रधान मंत्री उसके सामने पेश करता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है वहां के हालात से हमको यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तब तक नहीं चल सकता, जब तक संयुक्त जिम्मेदारी न हो और संयुक्त जिम्मेदारी तब तक हो नहीं सकती जब तक प्रधान मंत्री अपने साथियों को न चुने। अजीज अहमद साहब ने यह कहा कि यहां पर जो इतना झगड़ा हो रहा है उसके लिये अंग्रेजों की

[श्री सेठ गोविन्ददास]

यह पद्धति जिम्मेदार है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर जो हालत है उसके लिये यह पद्धति जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती; जिस पद्धति का अभी तक उपयोग ही नहीं हुआ है। इस पद्धति का उपयोग स्वतंत्र देशों में ही हो सकता है और जब तक देश स्वतंत्र नहीं है तब तक यह कहना कि यहां के इन सब तूफानों की जड़ इस तरह की पद्धति है, यह बात गलत होगी। इस समय जो कुछ यहां पर हो रहा है उसके लिये अगर कोई जिम्मेदार है तो वह लोग हैं जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को देश के सामने रखते हैं। जो समय-असमय 'मजहब खतरे में है' इस किस्म के नारे लगाते रहते हैं। जो कहते हैं कि इस देश में दो सभ्यतायें हैं, दो संस्कृतियां हैं, दो तहजीबें हैं। यह कहना कि जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन हम यहां पर चलाना चाहते हैं वह इन सब तूफानों के लिये जिम्मेदार है, गलत है। फिर अजीज अहमद साहब यह भी देखें कि उनकी मुस्लिम लीग में भी इस समय तक क्या पद्धति रही है। मुस्लिम लीग के सदर का चुनाव होता है, कायदे आजम का चुनाव होता है, परन्तु सदर के साथ काम करने वालों की जो कार्यकारिणी बनती है, उसके चुनाव का अधिकार मुस्लिम लीग के सदर को है न कि मुस्लिम लीग इन सबका चुनाव करती है। यही पद्धति हमारी कांग्रेस में भी है। हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में अपने प्रधानों को चुनते हैं। इसके बाद हम राष्ट्रपति और प्रान्तपति को यह अधिकार देते हैं कि वह जैसी कार्यकारिणी उपयुक्त समझे उसको चुन ले और काम चलाये। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि इस देश में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चलाना है, तो हमको अमरीका की नकल नहीं करनी होगी। अमरीका के जो मंत्री हैं वे वहां की जो कानूनी सभा है, वहां का जो हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव या सीनेट है, उसके प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। हमको उत्तरदायित्वपूर्ण शासन चाहिये। हम यहां के मंत्रियों को अपनी धारा-सभा के प्रति जिम्मेदार चाहते हैं और यदि इस प्रकार की पद्धति हमको चाहिये तो यह आवश्यक है कि हम इस तरीके से सिंगिल ट्रान्सफरेबल वोटों से अपने मंत्रियों का चुनाव न करें। बाकी जो सुधार अजीज अहमद साहब के सुधार पर आये हैं वे आश्चर्यजनक हैं। उनमें से एक में यह कहा गया है कि इस प्रकार से सिंगिल ट्रान्सफरेबल वोटों से जो मंत्री चुने जायें वे मंत्री अपनी धारा-सभा के प्रति जिम्मेदार रहने चाहियें। अलग-अलग मंत्री अलग-अलग प्रकार से किस तरह से धारा-सभा के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता और जो दूसरा सुधार हमारी एक बहिन ने पेश किया है कि जब तक असेम्बली का जीवन रहे वे मंत्री रहने चाहियें, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। अगर असेम्बली के अधिकांश मेम्बरों का विश्वास उन मिनिस्टरों पर नहीं है या प्रधान मंत्री पर नहीं है, तो असेम्बली के जीवन तक वे किस

तरह से रह सकते हैं? मुख्य सुधार और सुधार पर ये सुधार एक दूसरे के विरोध में आते हैं।

इसलिये मैं अन्त में फिर यह कहना चाहता हूं कि अगर हमको उत्तरदायित्वपूर्ण शासन इस देश में चलाना है और अब जबकि देश स्वतंत्र हो रहा है और उसका शासन कार्य हमको चलाना है, तो हमें उस पद्धति को काम में लाना होगा जो पद्धति आज ग्रेट ब्रिटेन में चल रही है।

***अध्यक्ष:** मद्रास के एक सदस्य ने मुझसे प्रार्थना की है कि चूंकि वे एक संशोधन के प्रस्तावक हैं इसलिये यहां जो भाषण हिन्दुस्तानी में हो, उनका अनुवाद अंग्रेजी में उनके लिये करा दिया जाये। मुझे खेद है कि मैं उनकी प्रार्थना को पूरी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि एक तो हमारे पास किसी ऐसे अनुवादक का प्रबन्ध नहीं है कि जो हिन्दुस्तानी में दिये हुए सभी भाषणों का अंग्रेजी में अनुवाद कर सके और दूसरे मैं यह भी जानता हूं कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं और वे इस पर जोर देंगे कि अंग्रेजी भाषणों का उनकी भाषा में अनुवाद किया जाये। चाहे वह भाषा जो भी हो मेरी राय में हमें हर एक सदस्य की कठिनाइयों का विचार करना चाहिये क्योंकि सभी की अपनी-अपनी कठिनाइयां हैं। इसलिये बहस को उसी प्रकार चलने देना चाहिये जैसे वह चल रही है और हर एक वक्ता को उसी भाषा में बोलने देना चाहिये जिसमें वह बोलना चाहता हो।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ अपने को एक मद्रासी की तरह पा रहा हूं। उस तरफ इससे पहले बोलने वाले वक्ता के भाषण को व इस तरफ मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता के भाषण को मैं बिलकुल नहीं समझ पाया हूं। मैं इस राय से सहमत हूं कि जहां तक हो सके वक्ताओं को उस भाषा में बोलना चाहिये जिसे इस सभा के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह समझते हैं। यदि मुझे ऐसी भाषा में बोलने दिया जाये जिसमें मैं अपने विचार सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सकता हूं तो मेरे विचार से शायद ही कोई सदस्य हो जो मुझे समझ पायेगा। मैं निश्चित रूप से अपनी भाषा में ही यानि आदिवासी भाषा में बोलना चाहूंगा। यहां कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो मुझे समझ पायेगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी उसी प्रांत के निवासी हैं जिसका कि मैं हूं, इसलिये किसी अनुवादक को ढूंढने में आपको भी बड़ी कठिनाई होगी। मुझे आशा है कि सदस्यगण जिस

[श्री जयपाल सिंह]

आवश्यकता का अनुभव करते हैं उसे ध्यान में रखते हुये और इस सभा में जो कुछ कहा गया है उसके प्रकाश में भी यह पसन्द किया जायेगा कि वक्ता ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे अधिकांश सदस्य समझ सकें।

मैं संशोधन का विरोध करने के लिये यहां पर आया, लेकिन संशोधन का विरोध करने के पहले मैं एक नोट के बारे में दो एक शब्द कहना चाहता हूं। हालांकि माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल ने यह सलाह दी है कि हमें यहां किसी नोट पर नहीं बोलना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे यह कहने की आज्ञा देंगे कि यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी गंभीर विषय से सम्बन्ध रखने वाले पत्र में इस प्रकार के शब्द हों। मैं उसे पढ़ कर सुनाऊंगा:

''इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन गवर्नर लोगों द्वारा निर्वाचित होगा। इसलिये इसकी सम्भावना नहीं है कि जिन अधिकारों को वह अपने 'विवेक' से प्रयोग में लायेगा उनका दुरुपयोग न करे।''

जितना भी थोड़ा-बहुत तर्कशास्त्र का मुझे ज्ञान है उससे मुझे इस तर्क को समझने में सहायता नहीं मिलती। कोई व्यक्ति जो लोगों द्वारा निर्वाचित हो विवेक से प्रयोग में आने वाले अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अब मैं उन तर्कों पर अपना मत प्रकट करूंगा जो प्रस्तावक और समर्थक ने इस संशोधन के सम्बन्ध में दिये हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि इन खण्डों को इस तरतीब से रखा गया है। मेरी राय में प्रस्तावक व उनकी सुन्दर समर्थक का मत दूसरा ही होता यदि खण्ड 2 की जगह खण्ड 14 रख दिया जाता। आप देखेंगे कि खण्ड 14 में एक परिशिष्ट की व्यवस्था है जो आदेश-पत्र (इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन्स) के अनुरूप होगा। मेरे विचार में यदि हमें यह बता दिया जाता कि यह परिशिष्ट या आदेश-पत्र कैसा होगा तो बहुत कुछ भ्रम दूर हो जाता। अभी तक हम उत्तरदायी सरकार के बारे में बोलते रहे हैं। उत्तरदायी सरकार का अर्थ आखिर यही तो है कि प्रांत की प्रबन्धकारिणी का अध्यक्ष उत्तरदायी सरकार की प्रथाओं का आदर करे। उसके स्वेच्छाचारी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। यह स्वीकार करना होगा कि जहां तक उन खण्डों की भाषा का सम्बन्ध है जिन पर हमने अभी तक विचार किया है, उससे यह प्रकट होता है मानो हम प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को स्वेच्छाचारिता के अधिकार दे रहे हों। श्रीमान्, वास्तव में यह बात

नहीं है, विशेषतः यदि हम यह ध्यान में रखें कि हमने आदेशपत्र या परिशिष्ट की व्यवस्था की है जिससे वह बंध जाता है। ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ मेरे मित्रों ने जो भय प्रकट किया है उसका कोई कारण नहीं मालूम होता।

श्रीमान्, मुझे स्वयं इस सम्बन्ध में आश्चर्य हुआ है कि आखिर हमारे विधान-विशेषज्ञों की क्या इच्छा है। एक साधारण मनुष्य की तरह मैंने यह समझने की कोशिश की कि क्या वे कम से कम इस बीच के समय के लिये एक ऐसा विधान बना रहे हैं जो प्रजातत्रांत्मक हो। इस समय तक मुझे इसका विश्वास नहीं हुआ। कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है कि मुझे इसका विश्वास नहीं हो सका है कि इस प्रजातंत्र का ढंग प्रजातंत्रात्मक है। लेकिन जहां तक इस खण्ड विशेष का सम्बन्ध है मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि गवर्नर अपने उत्तरदायित्व को समझकर काम करेगा।

श्री मुहम्मद शरीफ (मैसूर): हिन्दुस्तानी में बोलने लगे।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुर** (मद्रासः मुस्लिम): मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि आप वक्ता महोदय से, जो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी में बोलने को कहें?

***श्री मुहम्मद शरीफः** श्रीमान्, आपने अपना निर्णय सुना दिया है।

***अध्यक्षः** मैं किसी भी वक्ता को किसी विशेष भाषा में बोलने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। यह उस पर निर्भर है कि वे जिस भाषा में भी बोलना चाहें, बोलें।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुरः** ऐसी सूरत में क्या मैं माननीय वक्ता से अपील कर सकता हूं कि वे अंग्रेजी में बोलें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे उस भाषा से अच्छी तरह परिचित हैं?

श्री मुहम्मद शरीफः मैं उर्दू में बोलना पसंद करूंगा।

साहबे सदर, मौलवी अजीज अहमद साहब ने और उनके बाद इब्राहीम साहब और बेगम ऐज़ाज़ रसूल साहिबा ने जो तरमीमात हमारे सामने पेश की हैं, मैं उन तरमीमात की पुरजोर ताईद करता हूं। तरमीमात की यह मंशा है

[श्री मुहम्मद शरीफ]

कि गवर्नर के अख्तियारात महदूद कर दिये जावें और वजीरों के इन्तखाब के मुतल्लिक लेजिस्लेटिव असेम्बली की राय इसमें मुकद्दम हो। अगर इन तरमीमात की कोई गरज है तो इंतजाम अमूर में जम्हूरियत के उसूल कारफरमा हों। हर रोज हम जम्हूरियत के उसूल को अपना नजबुल ऐन समझते हैं और यह चीख पुकार करते हैं कि हर एक मामले में ख्वाह वह किसी अमर से ताल्लुक रखता हो, जम्हूरियत के उसूल की तरवीज और इशाअत हो। इसकी रोशनी में यह बात जरूरी मालूम होती है कि गवर्नर के अख्तियारात महदूद कर दिये जायें। आपको यह मालूम हो कि स्विट्जरलैंड और दूसरी जगहों में जो, तरक्की पसंद कही जा सकती हैं वहां पर यह तरीकेकार राइज है और मुझे यह अर्ज करना है कि सरदार पटेल साहब ने जो कहा है कि शायद आपकी यह गरज हो कि गवर्नर का इन्तखाब जो होता है वह लोगों की राय की बिना पर होता है। इसलिये उनको पूरे तौर पर अख्तियारात दिये जावें। लेकिन मैं अर्ज करूं कि गवर्नर ख्वाह वह कितना ही बाअख्तियार हो, ताहम हमको चाहिये कि लोगों की आवाज़ और उनके खिदमात काम कर सकें। जिस उसूल की तरफ तरमीम पेश करने वालों ने इशारा किया है मेरे ख्याल में बेहतरीन उसूल है और जम्हूरियत के उसूल की बिना पर मैं समझता हूं कि सब जम्हूरियत के हामीबर बनें। इस जम्हूरियत के उसूल के अलमबरदार हों। मैं इन तरमीमात की पुरजोर ताईद करता हुआ अपील करता हूं कि आप सब उनकी हमनुमाई करेंगे।

***श्री एन.वी. गाडगिल** (बंबई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि यह संशोधन प्रजातंत्र के लिये एक सुन्दर वातावरण पैदा करने के लिये पेश किया गया है। मेरे विचार से प्रजातंत्र ही अन्तिम लक्ष्य नहीं है। कुछ आकांक्षाओं और फलों की प्राप्ति के लिये वह एक साध न मात्र है।

अब हमें देखना है कि किन उद्देश्यों से हम यह विधान बनाने जा रहे हैं। जो प्रस्ताव हमने पास किया है उसमें इन उद्देश्यों की परिभाषा दे दी गई है। इसके अलावा मैं यह मान लेता हूं कि देश में कई दल होंगे ओर हरएक दल अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की परिभाषा देगा। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर ही वे अपना कार्यक्रम निश्चित करेंगे। स्पष्टत: ये लक्ष्य और उद्देश्य कार्यक्रम में केवल इसलिये सम्मिलित नहीं किये जाते हैं कि वे लोगों से यह कह सकें कि हमारे लक्ष्य और उद्देश्य ये हैं। किसी भी दल का यही विचार होता है कि जब वह अधिकार प्राप्त

करे तो इनको कार्यरूप में परिणत करे। यदि वह दल अधिकार प्राप्त करता है तो वह इनको तब तक कार्यरूप में नहीं ला सकता जब तक कि उसे शासन प्रबन्ध का पूर्ण अधिकार प्राप्त न हो।

इसके अलावा मैं इस सभा के सामने यह राय रखना चाहता हूं कि जहां तक इस देश की राजनैतिक धाराओं का सम्बन्ध है, हमारा पालन-पोषण ऐसे वातावरण में हुआ है जो आमतौर से परिषदात्मक तथा उत्तरदायी कही जाने वाली शासन पद्धति की स्थापना में बहुत सहायक रहा है। कुछ विशेष दशाओं ही में ऐसा शासन चल सकता है। एक दशा यह है कि कम से कम दो बड़े दल होने चाहियें और सभा का नेता उस दल का विश्वासभाजन होना चाहिये जिसका सभा में बहुमत हो। दूसरे शब्दों में नेता का बहुत महत्व है और यदि आप उसे अपने सहयोगियों को चुनने का मौका नहीं देते हैं, यदि आप उसे उस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी नहीं देते हैं, जिसकी बिना पर निर्वाचकों ने उसके दल को चुनाव में जिताया है, तो मेरे विचार से यह केवल प्रजातंत्र का ही विध्वंस नहीं है, बल्कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत उन्नति हो रही हो उसके मार्ग में भी बाधा डालना है। किसी भी संयुक्त मंत्रिमंडल से देश में उन्नति नहीं हो सकती है और यदि हम इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इससे और भी उन्नति नहीं होगी। संयुक्त मंत्रिमंडल किसी समझौते का आदर करता है लेकिन इस संशोधन के अनुसार अजीब और परस्पर उदासीन लोग भी प्रबन्धकारिणी में सम्मिलित हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि मंत्री एकाकी हस्तान्तरित या अहस्तान्तरित मतपद्धति द्वारा चुने गये तो जरा सोचिये तो इसका क्या असर होगा? गवर्नर किस आधार पर मंत्रियों को विभिन्न विषय देगा? एक तरफ तो हम सबको इसकी चिंता है कि वह केवल एक वैधानिक अध्यक्ष हो। दूसरी तरफ यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करें तो आप उसे असीम अधिकार दे देंगे, जिन्हें वह प्रजातंत्र के हित में नहीं किन्तु अपने स्वेच्छाचारी शासन की अभिवृद्धि के लिये ही प्रयोग में लायेगा। उदाहरणार्थ, यदि प्रबन्धकारिणी में नौ व्यक्ति हों तो बहुमत वाले दल के चार सदस्य उसमें हो सकते हैं, किसी दूसरे दल के दो सदस्य हो सकते हैं और एक तीसरे दल का एक सदस्य हो सकता है और दो अन्य समूहों के एक एक सदस्य हो सकते हैं। यदि गवर्नर इतना शक्तिशाली बना दिया जाये तो वह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषयों को अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधियों को दे सकता है। क्या ऐसी स्थिति में देश की उन्नति हो सकती है? क्या इससे वह कार्यक्रम कार्यान्वित हो सकता है जिसके आधार पर बहुमत वाला दल चुना गया हो? मेरे

[श्री एन.वी. गाडगिल]

विचार में यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तो आप निर्वाचकों के प्रति बड़ा अन्याय करेंगे और उस दल के प्रति भी बड़ा अन्याय करेंगे, जिसने निर्वाचकों के सम्मुख अपना कार्यक्रम रखा हो और उसके आधार पर उसके सदस्य चुने गये हों। निर्वाचकों का यह आशा करना उचित ही है कि वह कार्यक्रम प्रयोग में आयेगा; और यदि इस संशोधन को स्वीकार करके आप उस कार्यक्रम का कार्यान्वित होना असम्भव कर दें, तो मेरे विचार से आप निर्वाचकों के प्रति न्याय नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में मैं विनयपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि यह संशोधन हर दृष्टि से खतरनाक है। इससे निर्वाचकों के प्रति अन्याय होता है और यह प्रयोग में भी नहीं आ सकता। इससे गवर्नर को बहुत अधिक अधिकार मिल जाते हैं। इस संशोधन में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे मैं सहमत हूं। इस संशोधन के एक समर्थक ने यह कहा कि इससे एक शक्तिशाली और स्थायी सरकार का बनाना सम्भव हो सकेगा। जहां तक शक्तिशाली सरकार का सम्बन्ध है मेरे विचार में वह न बन सकेगी। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि वह एक शक्तिहीन सरकार होगी। संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव में शासन प्रबन्ध में न तो तारतम्य होगा और न एकमत। यदि आप इस संशोधन को स्वीकार कर लें कि वे असेम्बली के जीवनकाल तक पदासीन रहेंगे तो भले ही मंत्रिमंडल स्थायी हो किन्तु वह उन्नतिशील नहीं होगा। प्रजातंत्रात्मक और उत्तरदायी सरकार के माने ही यह हैं कि यदि निर्वाचित सदस्य कानून द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर भी कोई ऐसी बात करें या इस प्रकार व्यवहार करें कि उससे उन पर देश का विश्वास न रह जाये, तो विधान के किसी आदेशानुसार उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इस संशोधन से इस पर भी असर पड़ता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सभा के लिये यह न्यायोचित ही होगा कि वह इस संशोधन को अस्वीकार कर दे।

काज़ी सय्यद करीमुद्दीन (सी. पी. तथा बरार: मुस्लिम): जनाब सदर, अजीज अहमद साहब ने और बेगम ऐज़ाज़ रसूल ने जो अमेंडमेंट पेश किये हैं मैं उसकी ताईद करता हूं। तीन दिन से डिबेट में मैं यह देख रहा हूं कि जब कोई लीग की तरफ से तकरीर करने खड़ा होता है तो उसके जवाब में यह कहा जाता है कि कल तक आप यह नारा लगाते थे कि 'मजहब खतरे में है' और इसलिये हम सोशियलिज्म और डिमाक्रिटिज्म की ताईद नहीं कर सकते हैं और मि. कामठ ने तो यह भी फरमाया कि पं. जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी को सोशियलिज्म सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं मि. कामठ से कहता हूं कि बहुत से जमाने

से आप इनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शायद वह सोशलिज्म बहुत काफी समझते हैं। इन तमाम बातों के बावजूद मि. कामठ के लिये तो सिर्फ इतना कह देना काफी है:

रात तो खूब सी पी,
सुबह को तोबा कर ली।
रिन्द के रिन्द रहे
हाथ से जन्नत न गई।

कामठ साहब हीरो बन सके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को बदनाम करके क्यों?

इसके अलावा एक खास बात और भी है कि जब कांग्रेस कोई तजवीज रखती है तो हर मौके पर आप उसको मानने के लिये तैयार हो जाते हैं और जब लीग की तरफ से कोई बात, चाहे वह कितने ही फायदे के लिये क्यों न हो, यह कह कर नहीं मानी जाती कि हम पाकिस्तान वालों की बात नहीं मान सकते हैं। यह कान्स्टीट्युयेंट असेम्बली कोई पोलिटिकल फील्ड नहीं है, बल्कि यह तो कान्स्टिट्यूशनल जमात है। इसमें मुस्लिम लीग अपना नुक्तेनजर पेश कर सकती है और हर एक मेम्बर को अख्तियार है कि वह अपना नुक्तानजर पेश करे। आज जो हमारे सामने अमेन्डमेंट है यह है कि ''वजीरों का इन्तखाब हाउस करे''। अंग्रेज हिन्दुस्तान से जा रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तानियों पर जो अंग्रेजियत छायी हुई है वह नहीं जाती। आप फरमाते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत और ब्रिटिश एक्जीक्यूटिव आज जम्हूरियत पर बनी है, यह बिल्कुल गलत है। अमरीका और स्विट्जरलैंड के दस्तूर पर आपको गौर करना चाहिये।

मैंने 1921 ई. से हिन्दुस्तान में यह देखा है और खसूसन 1935 ई. के एक्ट के बाद मेजोरिटी पार्टी रूल में, जो मुखालिफ पार्टी होती है, उसके साथ लापरवाही बर्ती जाती है। मैं यह कहता हूं कि मेजोरिटी रूल का नतीजा यह होता है कि जो मुखालिफत में पार्टियां रहती हैं, ख्वाह कम्युनिस्ट हो या कोई और हो, उसकी तरफ से मिनिस्ट्री बददिल हो जाती है और मिनिस्ट्री को अपनी जगह कायम रखने के लिये पार्टी को खुश करने की जरूरत रहती है। मैं यह कहता हूं कि मेजोरिटी पार्टी के रूल में नेपोटीज़्म और फेवरेटीज्म है। जब तक यह दूर न हो तब तक यह निहायत मुश्किल है कि पार्टी का हर मेम्बर इसके साथ कायम रहे। इसलिये यह कहना कि मेजोरिटी पार्टी रूल जम्हूरियत पर बनी है, बिलकुल गलत है।

[काज़ी सय्यद करीमुद्दीन]

हजरात, जो तरमीम अजीज अहमद साहब ने पेश की है वह यह है कि मिनिस्ट्रों का इन्तखाब हो। आज हिन्दुस्तान में हम यह चाहते हैं कि ऐसा कांस्टीट्यूशन हो कि दुनिया के मुकाबले में हिन्दुस्तान भी एक प्रोग्रेसिव स्टेट कहलाई जाये। आज इन्तहाई नाजुक जमाना है और हिन्दुस्तान ऐसे दौर में से गुजर रहा है कि इसके इख्तलाफात को दूर करना जरूरी है। आपस के कानफ्लिक्ट इख्तलाफ को बन्द करना चाहिये। उसका तरीका यह हो सकता है कि जितनी पार्टीज हाउस में हों उन सबके नुमायन्दे मिनिस्ट्री में हों। जो मेजोरिटी पार्टी में हों, उनको ज्यादा नुमायन्दगी मिलेगी और जो अकलियत में हों उनको निशस्तेन कम मिलें। ऐसी हालत में जैसा कि बेगम साहिबा ने कहा है कि मिनिस्ट्री की जिन्दगी (लाइफ) हाउस की जिन्दगी हो। यह कोई नयी बात नहीं है। अमरीका के कान्स्टीट्यूशन में यह बात बहुत वाजुह है और आपके ऐसा करने में एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के तीन हिस्से हो जाते हैं। जो पालिसीज का काम है वह लेजिस्लेटिव करे।

जुडिशियरी का काम यह है कि जो एक्जीक्यूटिव की ज्यादतियां हों, उनको दूर करे और एक्जीक्यूटिव का काम यह है कि जो पोलिसीज लेजिस्लेटिव बनाये उन पर अमल दरामद कराये। हजरात, इन वाक्यात में आज हम यह देखते हैं कि यहां पर मुख्तलिफ मजाहिब हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। बेहतरीन उसूल यह हो सकता है कि हर पार्टी का नुमायन्दा गवर्नमेंट में हो। इसकी वजह से इत्मीनान हो जाता है कि गवर्नमेंट मजबूत होगी और आपस की जंग मिट जाती है। लिहाजा जो अमेन्डमेंट अभी पेश किया गया है, मैं उसकी ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर** (मद्रास: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने मित्र मि. अजीज अहमद खां साहब के संशोधन और उस पर बेगम ऐज़ाज़ रसूल के संशोधन का समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस विधान का मसविदा और उससे सम्बन्धित रिपोर्ट जो हमारे सामने रखी गई है, गवर्नर के चुनाव और एडवोकेट जनरल के पद की अवधि आदि कुछ प्रश्नों को छोड़कर प्रांतीय स्वायत्त शासन के बारे में सन् 1935 ई. के विधान की नकल सी मालूम पड़ती है। श्रीमान्, यदि हमारी यह इच्छा हो कि हमारा विधान प्रजातंत्रात्मक हो तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिये कि व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडल और प्रबन्धकारिणी में लोगों के विभिन्न वर्गों का प्रतिबिम्ब हो। यदि हम

प्रजातंत्र तथा तथाकथित पार्लियामेंटरी (परिषदात्मक) पद्धति पर विश्वास करें तो विधानों के पंडितों का यह निश्चित मत है कि वह शासनप्रबन्ध की प्रजातंत्रात्मक पद्धति नहीं है। हमें यदि अपने सामने किसी के उदाहरण को रखना चाहिये तो वह स्विस सरकार का उदाहरण है। कोई भी शासन-पद्धति तभी प्रजातंत्रात्मक कही जा सकती है जब व्यवस्थापिका में सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। इस समय हमारे रास्ते में एक बाधा है, क्योंकि हमें यह मालूम नहीं है कि चुनाव का तरीका क्या होगा, कौन से चुनाव-क्षेत्र होंगे; आदि। जो भी सूरत हो, मैं समझता हूं कि चुनाव-क्षेत्र प्रादेशिक चुनाव-क्षेत्र होंगे और साथ ही विभिन्न जातियों व हितों के लिये जगहें सुरक्षित रखी जायेंगी ताकि वे अपने लोगों को धारा-सभा में भेज सकें। श्रीमान्, यदि आप इस तरीके से काम करेंगे और भारत के प्रांतों को देखते हुए यह ज़रूरी हो, तो प्रांतों के सभी वर्गों के लोग और विभिन्न हितों के लोग धारा-सभा के लिये चुने जायेंगे। यदि धारा-सभा में लोगों के प्रतिनिधित्व करने के इस तरीके को आप स्वीकार करें और जगहों को चाहें जिस तरीके से भी हो सुरक्षित रखें, क्योंकि यह सवाल इस समय नहीं पैदा होता है, तो इसका यह मतलब है कि मंत्रिमंडल में भी अल्पसंख्यकों और विभिन्न वर्गों के लिये भी जगह सुरक्षित रखी जाये। स्विस-शासन-प्रणाली में यही होता है और इसीलिये यह कहा जाता है कि स्विस सरकार सबसे अधिक प्रजातंत्रात्मक है। उसकी धारा-सभा में सभी वर्गों और देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व होता है। धारा-सभा में ही नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल में भी यही होता है। स्विट्जरलैंड में इस तरीके से काम होता है। धारा-सभा मंत्रियों का चुनाव करती है और वह ऐसे तरीके से करती है कि सभी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। यह तरीका एकाकी अहस्तान्तरित मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका है। यही हम यहां भी चाहते हैं ताकि विधान प्रजातंत्रात्मक हो। उसमें ऐसे आदेश हों कि विभिन्न हितों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो सके। इसका अर्थ अवश्य ही यह भी होता है कि इनके लिये मंत्रिमंडल में जगहें रखी जायें।

बेगम साहिबा का संशोधन ऐसा है जो मौलवी साहब के प्रस्ताव से स्वभावत: उत्पन्न हो जाता है। हम मंत्रिमंडल में किसी प्रकार की नामजदगी के लिये नहीं कह रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि चुनाव एक ऐसे निश्चित तरीके से हो कि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव का तरीका सबसे अच्छा समझा जाता है। जब धारा-सभा में 50 से 500 या 300 तक सदस्य होंगे, तो यह कोई पेचीदा तरीका नहीं होगा। इस प्रणाली को अपनाकर आप अपने इस पूर्व घोषित सिद्धांत के अनुसार ही काम

[श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर]

करेंगे कि अल्पसंख्यकों और लोगों के कुछ वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और विधान प्रजातंत्रात्मक होना चाहिये। यह कहना कि कोई निर्वाचित मंत्री अविश्वास का प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, उस सिद्धांत का खण्डन करना है। मेरे मित्र मि. इब्राहीम और बेगम साहिबा के संशोधनों में कुछ विरोध है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मि. इब्राहीम कहते हैं कि मंत्रियों को उत्तरदायी बनाना चाहिये। यदि मौलवी साहब का संशोधन स्वीकार किया जाये तो इसका अर्थ यह होगा कि मंत्री हटाये जा सकते हैं। लेकिन, श्रीमान्, यह बहुत आवश्यक है कि ये मंत्री जो धारा-सभा द्वारा इसलिये चुने जायेंगे कि वे मंत्रिमंडल में विभिन्न वर्गों जैसे ईसाईयों, मुसलमानों, आदिवासियों आदि का प्रतिनिधित्व करें, उसके जीवनकाल तक पदासीन रहने चाहियें। यह बात इस प्रस्ताव से स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है।

श्रीमान्, मुझे आशा थी कि जिस विधान द्वारा भविष्य में हम पर शासन होगा उसमें कुछ नवीनता होगी। मगर मैं यह देखता हूं कि सिवाय इसके कि गवर्नर का चुनाव होगा, इसमें कुछ भी नवीनता नहीं है। श्रीमान् आपकी मार्फत मैं सभा से यह अपील करता हूं कि मुसलमानों, हिंदुओं, आदिवासियों आदि सभी वर्गों में आप जो विश्वास पैदा करना चाहते हैं, उसकी नींव डालने के लिये सभा का विधान बनाने के इस प्रजातंत्रात्मक प्रणाली पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये।

***श्री एस. नागप्पा** (मद्रासः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं उस मूल खण्ड का समर्थन करता हूं जिसे कमेटी के माननीय अध्यक्ष ने पेश किया है। उसके अनुसार गवर्नर ही अपने मंत्रियों को चुनेगा और बुलायेगा और वे उसी की इच्छानुसार पदासीन रहेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। खण्ड 14 में कहा गया है कि अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके प्रति अपने व्यवहार के सम्बन्ध में गवर्नर का पथप्रदर्शन साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथायें करेंगी, जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है, इत्यादि। खण्ड 14 में आगे चलकर यह कहा गया है कि गवर्नर के किसी कार्य के औचित्य पर इस कारण आपत्ति न की जायेगी कि वह इन प्रथाओं के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल किया गया है। श्रीमान्, यदि अपने मंत्रियों को चुनने का अधिकार गवर्नर के हाथ में नहीं बल्कि धारा-सभा के हाथ में दिया जाता तो विशेषतया अल्पसंख्यकों के लिये यह अच्छा होता। उदाहरणार्थ, गवर्नर या प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार ऐसे मंत्रियों को चुन सकता है जो सच्चाई से गवर्नर या प्रधानमंत्री की आज्ञायों का पालन

करेंगे। लेकिन ऐसे लोग उन विशेष वर्गों के विश्वासपात्र न होंगे जिनका प्रतिनिधित्व करने की उनसे आशा की जाती है। इसलिये यदि थोड़ी-बहुत स्विस विधान के अनुसार व्यवस्था की जाती, जिसमें धारा-सभा ही प्रबन्धकारिणी का निर्माण करती है, तो धारा-सभा के प्रत्येक समूह और प्रत्येक सदस्य को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे प्रतिनिधि सच्चे प्रतिनिधि होंगे और वे कार्य कर सकेंगे। परंतु यही कठिनाई उठ खड़ी होती है। यदि इस ढंग से मंत्रिमंडल बनाया जाये तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग होंगे जो अलग-अलग दिशाओं में खींचातानी करेंगे और एकमत का बिल्कुल अभाव होगा। मुझे यही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये मंत्रियों को ही अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहिये क्योंकि ऐसी दशा में उनको उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा।

श्रीमान्, इसमें सन्देह नहीं कि विधान के मसविदे में यह कहा गया है कि गवर्नर अपने मंत्रियों को चुनेगा। परन्तु इसका उल्लेख नहीं है कि गवर्नर को बहुसंख्यक दल के नेता की सलाह से प्रबन्धकारिणी अर्थात् मंत्रियों को चुनना चाहिये। उदाहरणार्थ, आपको मालूम है कि सन् 1935 ई. के विधान के अधीन सिंध के गवर्नर ने क्या किया, जो दल बहुत कुछ बहुमत में था उसको उन्होंने नहीं बुलाया। दो दल थे जिनके सदस्यों की संख्या बहुत-कुछ एक समान थी लेकिन गवर्नर ने अपनी इच्छानुसार काम किया। उसने जिसे योग्य समझा उसी को चुना। उसने उस दल को नहीं बुलाया जो वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और जिसका बहुमत था। इसलिये इस प्रकार के अधिकार गवर्नर के हाथ में दे देना कभी खतरनाक साबित होता है। निस्सन्देह ये गवर्नर प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुने जायेंगे लेकिन इस कारण उनको यह अधिकार और भी न देना चाहिये। वह प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुना जायेगा इसलिये वह बहुसंख्यक दल का सदस्य हो सकता है। यह मनुष्य की प्रकृति नहीं है कि वह अपने दल की राजनीति से ऊपर उठ सके। वह गवर्नर भले ही हो, परन्तु है तो वह मनुष्य ही। वह जानता है कि वह लोगों द्वारा चुना गया है और यह भी जानता है कि किस दल ने चुनाव में उसकी सहायता की और किसने नहीं की। इसलिये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिये गवर्नर के लिये काफी गुंजाइश है। इसलिये इस प्रकार आप उसके मंत्रिमंडल बनाने के कुछ अधिकारों को ही न ले लेंगे लेकिन साथ ही आप अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिये बहुत-कुछ कर सकेंगे। वे अपनी बात कह सकेंगे और एकाकी हस्तान्तरित मतदान द्वारा उनका प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व हो सकेगा। अन्यथा, यदि वह गवर्नर की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाये और यदि दो बराबर बल के दल हों या उनके बल में थोड़ा ही अन्तर हो,

[श्री एस. नागप्पा]

तो थोड़े से बहुसंख्यक दल को न बुलाकर गवर्नर सिंध के गवर्नर की तरह दूसरे दल को मंत्रिमंडल बनाने के लिये बुला सकता है। यदि इस तरह के मंत्रिमंडल बनाये जायें तो इसका क्या विश्वास कि सरकारें स्थायी और शक्तिशाली होंगी? प्रतिदिन सरकारों को अपनी स्थिति सम्हालने की ही चिन्ता लगी रहेगी। वे न तो नीतियां निर्धारित कर पायेंगी और न यह देख पायेंगी कि उनसे देशवासियों को लाभ हो रहा है या नहीं; मेरी राय में गवर्नर को इतने अधिक अधिकार दे दिये गये हैं कि इससे सन्देह होने लगता है। मैं यह नहीं कहता कि प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुना हुआ गवर्नर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। लोग इस प्रकार के लोगों को नहीं चुनेंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिये कि आखिर गवर्नर मनुष्य ही है और उसकी भी अपनी रुचि और अरुचि होगी, इसलिये वह गलती कर सकता है और मैं यही बताना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि जैसा मैं शुरू में कह चुका हूं कि अच्छा यही होगा कि मंत्रिमंडल को बनाने की इज़ाजत गवर्नर को न दी जाये, बल्कि धारा-सभा उसे बनाये। इससे यह होगा कि धारा-सभा के हर एक सदस्य को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जायेगा। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा विधान प्रयोग में आ सकता है? मंत्रिमंडल में सब तरह के लोग होंगे और सवाल यह है कि उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा या सामूहिक। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक मंत्रिमंडल और संगठन में लोगों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। यदि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने प्रधान मंत्री को चुनेंगे तो इसके लिये कम से कम वे उत्तरदायी होंगे और उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा।

अभी तक गवर्नर आदेश-पत्र (इंस्ट्रमैंट आफ इन्स्ट्रक्शंस) के अनुसार अल्पसंख्यकों के सदस्यों को स्वयं चुना करता था। खण्ड 14 के नीचे एक नोट दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नरों को जारी किये हुए इस आदेश-पत्र (इंस्ट्रूमैंट आफ इंस्ट्रक्शंस) का स्थान एक परिशिष्ट ले लेगा। मुझे इसकी खुशी है कि इस प्रकार की व्यवस्था है और मुझे आशा है कि इस परिशिष्ट के अधीन इस खण्ड से कुछ अधिकार मिलेगा, हालांकि अच्छा तो यह होता कि इसके विपरीत व्यवस्था होती।

***डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद को बड़ी दिलचस्पी से सुनकर मुझे एकाएक प्रेरणा प्राप्त हुई है।

विशेषतया मुझे इसकी खुशी है कि संयुक्त प्रांत के हमारे पुराने आदरणीय मित्र मि. अजीज अहमद खाँ ने यह बहस छेड़ी है। उन्होंने हमें इसका अवसर दिया है कि हम उत्तरदायी शासन और स्थायी प्रबन्धकारिणी पर पूर्णरूप से वाद-विवाद करें और उनके संशोधन में जो थोड़ी-सी कमी रह गई थी, उसे परम विदुषी बेगम ऐज़ाज़ रसूल ने पूरा कर दिया है। इसलिये मुझे भी इस बहस में भाग लेने के लिये प्रलोभन मिला और यदि यह मेरी धृष्टता न समझी जाये तो मैं चाहता हूं कि जिस निम्न स्तर में यह छेड़ी गई है, उससे उठाकर ऊंचे स्तर में ले जाई जाये।

हम पिछले कुछ सालों की बातों और दशाओं के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। सन् 1935 ई. के एक्ट में जिस प्रांतीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी वह अब प्रयोग में है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आजकल की ऐतिहासिक दशाएं पिछले 30 या 40 वर्षों की देन हैं। हमें कुछ हालतें मिली हैं और हम उन हालतों के शिकार रहे हैं। उन दशाओं में जो उत्पीड़न हुआ है उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकी है। हम साफ दिल से बिल्कुल नये सिरे से काम शुरू नहीं कर सके हैं। हमें ब्रिटिश सरकार की पैदा की हुई ये हालतें मिली हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार सन् 1906 ई. में लार्ड मिन्टो के काल में श्री आगा खां ने एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और पृथक चुनाव क्षेत्रों के लिये बातचीत की। यह विषैला बीज उगा और सन् 1916 ई. में लीग-कांग्रेस समझौते के रूप में फलीभूत हुआ; जिसका बहुत-कुछ अंश मांटेग्यू सुधारों की रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया। हमें यह आशा थी कि दस वर्ष बीतने पर इन दूषित पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अन्त हो जायेगा, परन्तु हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जब-जब भी हमें राजनैतिक प्रणाली में सुधार करने का अवसर मिला, इस पेड़ की जड़ें मजबूत होती गई और इसमें और भी खराब फल लगे। यहां तक कि हमें अन्तिम फल भी मिल गये हैं। इस अन्तिम स्थिति में भारत एक अलग राज्य के रूप में काम करेगा और पाकिस्तान एक अलग 'स्तान' के रूप में। हमें आशा करनी चाहिये कि यह स्थिति थोड़े ही दिनों तक रहेगी।

इस परिस्थिति में हमें इस प्रश्न पर एक नये दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये कि पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों का रहना कहां तक ठीक होगा। इस समय पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों से क्या लाभ हो रहा है? सारे राजनैतिक प्रश्न पर हमें फिर से विचार करना है। इनसे मद्रास के 7 प्रतिशत, बंबई के 9 प्रतिशत, मध्य प्रांत के $4^{1}/_{2}$ प्रतिशत और संयुक्त प्रांत के 14 प्रतिशत लोगों को किस प्रकार फायदा होगा? इनसे केवल बराबर शिकायतें होती रहेंगी;

[डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या]

इसीलिये हम संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों की ओर देख रहे हैं। हमें उन सभी विरोधी भावनाओं को भूल जाना चाहिये जो पिछले वर्षों में उत्पन्न हुई हैं। यद्यपि उनके लिये हम दोषी नहीं ठहराये जा सकते। हमें कांग्रेस और लीग इन दो नामों तक को भूल जाना चाहिये। हमें कांग्रेस और लीग दोनों का एक संयुक्त संगठन स्थापित करना चाहिये। या हमें इन दो नामों को ही छोड़कर एक प्रजातंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या समाजवादी या अन्य किसी नाम का संगठन जिसे आप पसंद करें स्थापित करना चाहिये, जिसका आधार केवल राजनैतिक हो। वह किसी प्रकार के धार्मिक पक्षपात में दिलचस्पी न लेगा।

वास्तव में अन्य देशों में अल्पसंख्यक धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास और रीतिरिवाजों की स्वतंत्रता तथा भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, इन्हीं तीन बातों की मांग करते रहे हैं। इसी अभागे देश में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से अल्पसंख्यकों का प्रश्न राजनैतिक बातों से मिलाकर पेचीदा बना दिया गया है। लेकिन वह काल अब बीत गया है। अब हम देशोन्नति के एक नये काल में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिये अब जब नये संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जाते हैं और आपका और हमारा एक ही राजनैतिक कार्यक्रम है और जब हमें कृषि से आय तथा भूमि की सीमाबन्दी जैसे आर्थिक प्रश्नों को सुलझाना होगा तो हम सब एक ही नाव में होंगे। तब मैं जनाब महबूब अली बेग के घर पर जा सकता हूं और उनकी माता से बातचीत कर सकता हूं और वे मेरे घर आकर मेरी पत्नी से बातचीत कर सकते हैं। हम एक दूसरे को भोजन के लिये निमंत्रण दे सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट शिष्टता का व्यवहार कर सकते है और एक बार फिर भाई-भाई हो सकते हैं। तब यह प्रश्न न रह जायेगा कि कांग्रेस के लोगों ने ही सरकारी जगहों का ठेका ले रखा है। हमारे सरकारी पदों में ईसाई होंगे, मुसलमान होंगे और पारसी होंगे। यदि किसी व्यक्ति में किसी पद के लिये योग्यता होगी तो वह देश-सेवा के आधार पर चुना जायेगा न कि जेल जाने के कारण। यह बहुत जल्दी ही भुला दिया जायेगा और बहुत कुछ अभी भुलाया जाने लगा है। वास्तव में यह अच्छा ही है कि पुरानी परम्परा भुला दी जाये और नई परम्परा का सृजन हो। हमें पिछली बातों को याद करके भविष्य के बारे में निर्णय न देना चाहिये। हमें भूतकाल पर पर्दा डाल देना चाहिये और भविष्य का नये सिरे से निर्माण आरम्भ कर देना चाहिये। हममें राजनैतिक संगठनों को नये आधार पर बनाने की योग्यता होनी चाहिये ताकि यह न कहा जाये कि मुसलमानों की अल्पसंख्यक जाति की उपेक्षा की गई है। भविष्य में इस प्रकार की कोई बात न होगी। इस मंच से जो शिकायतें की

गई हैं उनका किसी प्रकार भी खण्डन नहीं किया जा सकता। यह बड़े दुख की बात है कि लोग इस तरह की बातें कहने के लिये मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यह भूतकाल का अनिवार्य परिणाम है जिसके लिये हम पूर्णत: उत्तरदायी नहीं हैं; यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि अंशत: हमारा भी उत्तरदायित्व हैं। हम फिर एक ही झंडे के नीचे, एक ही मंच पर एकत्रित हो गये हैं। हम एक ही कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे और अब किसी प्रकार की कठिनाई न होगी।

चौधरी खलीकुज्जमां (संयुक्त प्रांत: मुस्लिम): क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं? मेरे विचार से जिस विषय पर वे बोल रहे हैं उसका इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

***डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या:** इस छोटी सी बात की ओर मेरा ध्यान दिलाने के लिये मैं अपने मित्र का आभारी हूं। यह प्रश्न विषय संगत इस प्रकार है कि सारा संशोधन इस शिकायत पर आधारित है कि मुसलमानों की एक छोटी-सी अल्पसंख्यक जाति है और इसलिये एक वर्ग बहुत बड़े बहुमत में होने के कारण चुनाव में जीत जायेगा और उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों के आधार पर मंत्रिमंडल के सभी पदों पर अधिकार जमा लेगा और इस प्रकार अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचेगा। मैं यह कहता हूं कि जब राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर दल बनेंगे और एक नया समझौता हो जायेगा तो इस प्रकार की बातें न होने पायेंगी।

***काजी सय्यद करीमुद्दीन:** लेकिन जो वक्ता इस संशोधन के समर्थन में बोले हैं उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचेगा, हालांकि मेरे मित्र ऐसा कह रहे हैं।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्त प्रांत: जनरल): वे आपकी चाल पहचान गये हैं।

***डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या:** हमें नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, किन्तु भूतकाल के दु:खद अनुभवों से हम पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिये मैं यह राय देता हूं कि इस प्रश्न पर एक नये दृष्टिकोण से विचार होना चाहिये, तब हमारे लिये यह सम्भव हो सकेगा कि हम इस पर विचार करें कि राजनैतिक सिद्धांतों के आधार पर ही किस प्रकार ऐसे राजनैतिक दल बनायें, जिनका साम्प्रदायिक दृष्टिकोण न हो और यह भी सोचें कि ऐसी नई प्रणाली किस

[डा. बी. पट्टाभि सीतारमय्या]

प्रकार बनायें जिसका आधार उत्तरदायी शासन हो। यह प्रस्ताव पहले के कटु अनुभव के आधार पर किया गया है। वह अनुभव एक भूला हुआ स्वप्न है और अब हम अपनी राजनैतिक उन्नति का एक नया अध्याय आरम्भ करेंगे, जिसमें बिल्कुल दूसरी प्रकार की परिस्थितियों की कल्पना होगी। इसलिये श्रीमान्, मैं यह आग्रह करता हूं कि यह संशोधन अस्वीकार कर देना चाहिये।

(इसके उपरान्त श्री डी. गोविन्द दास ने निम्नलिखित भाषण तेलुगू भाषा में दिया)।

+श्री डी. गोविन्द दास (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे अंग्रेजी भाषा में अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण आपने अपनी मातृभाषा में बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस खण्ड में जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। मेरी राय में प्रांत के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में गवर्नर की सहायता करने व उसको सलाह देने के लिये गवर्नर को स्वयं मंत्रियों को चुनना चाहिये। इस प्रकार गवर्नर के चुने हुए मंत्री तब तक पदासीन रहेंगे जब तक कि वे लोगों का विश्वास न खो दें। ऐसी दशा में वे पदत्याग कर देंगे। पूरे चार वर्ष तक उनको पदासीन न रहने देना चाहिये। मैं गवर्नरों को अपने ही विवेक से प्रयोग में आने वाले अधिकारों को देने का घोर विरोध करता हूं। यदि प्रांत की शांति भंग होने का भय हो तो उसे तुरंत संघ के राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी चाहिये और उसकी आज्ञा के अनुसार काम करना चाहिये।

मैं एक बार फिर अध्यक्ष महोदय को अपनी मातृभाषा तेलुगू में बोलने देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुर:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किस भाषा में बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण सिंह (बिहार: जनरल): मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आया माननीय अध्यक्ष महोदय श्री गोविन्द दास जिस भाषा में बोल रहे हैं उसे समझते हैं; अगर वे नहीं समझते हैं तो वे वक्ता पर नियंत्रण किस प्रकार रख सकेंगे?

+तेलुगू भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि मेरे लिये वक्ता पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि वे बोलने में सीमा के बाहर नहीं जा रहे हैं। *(हंसी)*

***एक माननीय सदस्यः** श्रीमान्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में? मैं नहीं समझ पाता कि वे क्या कह रहे हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य यह जानता है कि वे सभा में पेश किये हुए प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में?

***अध्यक्षः** वक्ता की एक कमजोरी है और अन्य सदस्यों की भी कोई न कोई कमजोरियां हैं। वक्ता कुछ भाषाओं से अपरिचित हैं और अन्य सदस्य उनकी भाषा से अपरिचित हैं। सबकी अपनी कमजोरियां हैं। नियमों के अनुसार जिस भाषा में वे बोल रहे हैं उसमें उन्हें बोलने की मैं आज्ञा देता हूं। मैं समझता हूं कि वे अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ हैं और इसलिये अपनी ही भाषा में बोलना चाहते हैं।

(श्री डी. गोविन्ददास ने तेलुगू में अपना भाषण समाप्त किया और अपने अधिकार की रक्षा करने के लिये अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया।)

***चौधरी खलीकुज्जमांः** अध्यक्ष महोदय, मि. अजीज अहमद खां ने जो संशोधन पेश किया है उसके मेरे विचार से दो भाग हैं। एक मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में है और दूसरा उनके चुनाव के तरीके के बारे में। दुर्भाग्य से मुझे यह दिखाई देता है कि यहां मेरे मित्रों ने इस सिद्धांत की बिल्कुल उपेक्षा की है और उन्होंने संशोधन के दूसरे भाग पर ही, जिसमें मंत्रियों के चुनाव का उल्लेख है, अपना सारा दिमाग खर्च किया है। मैं सदस्यों को यहां यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि यहां एक अल्पसंख्यकों की कमेटी है और उसमें हमें अपने अधिकारों के बारे में बहस करने का अवसर मिलेगा। प्रांतीय विधान कमेटी की रिपोर्ट को देखकर और उसे पढ़कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्पसंख्यकों की कमेटी ने इसके लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया कि रिपोर्ट में कोई ऐसी बात न कही जाये जो अल्पसंख्यकों की कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध हो या उससे असंगत हो। इस हद तक हम प्रांतीय विधान कमेटी के सदस्यों के आभारी हैं। मैं आप सभी लोगों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप अपने दिमाग में यह ख्याल न लायें कि इस संशोधन के पीछे कोई उद्देश्य छिपा हुआ है। यह हो सकता है कि जब एक बार मंत्रियों के चुनाव के बारे में कोई सिद्धांत आपस में तय हो जाये, चाहे वह अहस्तान्तरित मतदन का सिद्धांत हो या एकाकी हस्तान्तरित मतदान का सिद्धांत हो या कोई अन्य सिद्धांत हो, तो इसके कारण कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यहां सिद्धांत का

[चौधरी खलीकुज्जमां]

प्रश्न है। हम यह अनुभव करते हैं कि जब हमने गवर्नर को बहुत से अधिकार दे दिये हैं तो हमें मंत्रिमंडल को भी ऐसा बनाना चाहिये जो हटाया न जा सके। इसके समर्थन में मैं अमेरिकन विधान या स्विस विधान या अन्य किसी विधान का उल्लेख नहीं करूंगा। मेरे विचार से इस प्रश्न पर केवल अपने यहां के लोगों की संस्कृति को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये। हमें यह विचार करना चाहिये कि इस देश के लोगों की संस्कृति के अनुरूप क्या होगा।

सन् 1935 ई. के विधान को, जिसके अनुसार प्रांतों को वास्तव में कुछ अधिकार मिल गये थे, हम बहुत काल तक प्रयोग में नहीं लाये हैं। जब कांगेस ने पहली बार शक्ति ग्रहण की तो वह केवल ढाई वर्ष तक पदासीन रही और अबकी बार उसने अभी ही तो बागडोर सम्हाली है। हमें अन्य क्षेत्रों का कुछ अनुभव है। उदाहरण के लिये, म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में दूसरे ढंग से चुनाव करने की कोशिश की गई है। इनमें क्या होता रहा है? आये दिन म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जाता है। किसी की समझ में नहीं आता है कि उनको जो अधिकार दे दिये गये हैं उनका क्या होता है। प्रांतों के गवर्नर उनके मामलों से ऊब गये हैं, इसलिये वे इस प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। पहले दो तिहाई सदस्यों का बहुमत निश्चित किया गया था और मैं नहीं जानता कि प्रांतों की धारा-सभाओं को तीन चौथाई का बहुमत निश्चित करना पड़ेगा कि नहीं; वरना यही होगा कि इन बोर्डों के चेयरमैन और प्रेसीडेंट प्रतिदिन पदच्युत होते रहेंगे। कुछ ही दिन हुये कि मद्रास का मंत्रिमंडल पदच्युत हो गया। अपने इस अनुभव से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रबन्धकारिणी को स्थायी बनाना हमारे ही हित में होगा। वरना नारों के बदलने के साथ ही मंत्रिमंडल भी बदल सकता है। हमारे लोग नारों से प्रभावित हो जाते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान और दो राष्ट्रों के नारे लोगों की जबान पर चढ़ गये। इससे यह प्रकट होता है कि आपके लोग किसी भी नारे को और किसी भी नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं। इसके कारण मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने मंत्रियों की रक्षा के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। आपको ऐसे बदलते हुये दलों से और धारासभा में समूहों के पक्षपात से इनको बचाना चाहिये। यह एक सीधा-साधा प्रश्न हमने विचारार्थ आपके सामने रखा है। यह सोचना ठीक नहीं है कि यह केवल एकाकी हस्तान्तरित या अहस्तान्तरित मतदान का प्रश्न है; क्योंकि मेरे कुछ मित्रों को यह अरुचिकर है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप इस सिद्धांत को स्वीकार कर लें तो हम चुनाव

के किसी भी दूसरे तरीके को स्वीकार कर लेंगे। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के प्रश्न को आपको चुनाव के तरीके की कसौटी पर न कसना चाहिये। यह हो सकता है कि आप इस संशोधन से संतुष्ट न हों। आप उसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि यह संशोधन इसलिये पेश किया गया है कि हम चुनाव के किसी विशेष तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके उद्देश्य को गलत समझना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी अपनी धारणा यह है कि कोई भी गवर्नर जो लोगों द्वारा चुना गया हो कभी भी ऐसा मंत्रिमंडल नहीं बनायेगा, जिसमें लोगों के प्रतिनिधि न हों। चाहे वह जो भी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान। मेरा यह विश्वास है, इसलिये हमने इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करने को नहीं कहा है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं मि. अजीज अहमद खां के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी** (बंबई: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र मि. खलीकुज्जमां ने जो विचार प्रकट किये हैं उनके बारे में मुझे थोड़े से शब्द कहने हैं। सभा को ज्ञात है कि मि. अजीज अहमद खां के संशोधन का उद्देश्य यह है कि मंत्रिमंडल का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हो। जो दो संशोधन पेश किये गये हैं वे एक दूसरे का खण्डन करते हैं। मि. अहमद इब्राहीम साहब कहते हैं कि अल्पसंख्यक प्रांतीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका अर्थ यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस मंत्रिमंडल का चुनाव होगा वह प्रांतीय धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी न होगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को पदत्याग कर देना चाहिये। लेकिन दूसरी ओर बेगम ऐज़ाज़ रसूल द्वारा पेश किये हुये संशोधन का यह उद्देश्य है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना हुआ मंत्रिमंडल असेम्बली के जीवनकाल तक रहे। दूसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि मंत्रिमंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाये और वह असेम्बली के जीवनकाल तक रहे। श्रीमान् अब मैं यह चाहता हूं कि यह सभा इस योजना को समझे। हर कोई जानता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने के बजाय पहले एक छोटे समूह का मतदान प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्रियों के चुनाव में देश के राजनैतिक जीवन को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से अधिक और कोई चीज छिन्न-छिन्न नहीं करती । मैं एक ठोस उदाहरण दूंगा। यदि किसी सभा में 300 सदस्य हों तो 151 सदस्यों के बहुसंख्यक दल को

[श्री के.एम. मुंशी]

सभी मंत्रियों का समर्थन करना ही होगा ताकि वे पदासीन रह सकें। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार यदि सात मंत्री हों और मतदान देने वाले सदस्यों की कुल संख्या 300 हो तो जो कोई सदस्य भी पहले 35 या 40 सदस्यों की वोट पा जायेगा, वह मंत्री होने का अधिकारी हो जायेगा। इसलिये सभा मंत्रिमंडल को एक ऐसे सुसंगठित मंडल के रूप में नहीं देखेगी जिसमें उन साधारण सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधि हों जिनको कि मंत्रिमंडल को कार्यरूप में लाना हो। इसके विपरीत वह कई भागों में बँट जायेगा और प्रत्येक भाग आरम्भ में अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। मैं किसी कल्पना के आधार पर यह सब नहीं कह रहा हूं। पहले महायुद्ध के समाप्त होने पर बार्साई की सन्धि के उपरान्त प्रेसीडेंट विलसन के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के पक्ष में होने से मध्य यूरोप के कई देश इस सिद्धांत को अपने यहां प्रयोग में लाये और बाद को उन्हें पछताना पड़ा। अपने सामने सारे राष्ट्र की भलाई के आदर्श को रखने के बजाय मंत्रियों को किसी छोटे समूह की आरम्भ में वोट पाने की अधिक चिन्ता थी और वे बहुत ही संकुचित नारे लगाते थे। इसलिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का नतीजा यही होगा कि मंत्रिमंडल साधारण सिद्धांतों के विस्तृत आधार पर संगठित होने, सब मंत्रियों के मिलजुलकर काम करने और सामूहिक उत्तरदायित्व होने तथा सारे प्रांत की भलाई में दिलचस्पी लेने के बजाय उसमें विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि होंगे, जिनके विभिन्न आदर्श और विभिन्न सिद्धांत होंगे। चूंकि 35 सदस्यों का मतदान संदिग्ध रहेगा इसलिये इसका नतीजा अवश्य ही यही होगा कि एक संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना होगी, जिसके सदस्यों की अलग-अलग नीतियां होंगी और जब उसकी स्थापना होगी तो हम जानते हैं कि उसका क्या नतीजा होगा? सम्भवत: सदस्य जानते हैं कि फ्रांस में पिछले 25 वर्षों में क्या हुआ और क्या हो रहा है। फ्रांस में संयुक्त मंत्रिमंडल स्थापित करने का फैशन सा हो गया है, जिसका नतीजा यह है कि मंत्रिमंडल बालू की भीति की तरह गिरते रहते हैं। पिछले 8 या 10 वर्षों में कुछ नहीं तो बीस मंत्रिमंडल बदल चुके हैं। कुछ मंत्रिमंडल तो केवल आठ या नौ दिन टिक पाये हैं। उस समय जब हिटलर ने आस्ट्रिया में प्रवेश किया था तो फ्रांस में कोई भी मंत्रिमंडल नहीं था। जब उसने राइनलैंड में प्रवेश किया तो वहां एक रक्षक मंत्रिमंडल था और कोई भी प्रधान मंत्री होने के लिये तैयार नहीं होता था। जहां संयुक्त मंत्रिमंडल होते हैं वहां ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रजातंत्र के लिये यही सबसे बड़ा खतरा है और यह संयुक्त मंत्रिमंडलों से उपस्थित होता है। एक ही प्रकार से प्रजातंत्र प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यरूप में आ सकता है और वह

यह है कि एक बहुसंख्यक दल हो। यदि कोई बहुसंख्यक दल न हो तो हमें एक ऐसे दल को स्थापित करना चाहिये। इसके बाद पहले बहुसंख्यक दल मंत्रियों को चुने और फिर उनका सामूहिक उत्तरदायित्व हो और इस सुसंगठित मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण हो। श्रीमान्, यह सभा जानती है कि इंगलैंड में प्रधान मंत्री के अंतिम अधिकार होते हैं और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार इतनी शक्तिशाली हो सकी। प्रधानमंत्री ही इसका निश्चय करता है कि किसे मंत्री बनाया जाये और वह किसी मंत्री को हटा भी सकता है, तथा अपने दल पर यह कहकर नियंत्रण रख सकता है कि यदि मुझे अपने दल का समर्थन प्राप्त न हो तो मैं धारा-सभा को समाप्त करा दूंगा और लोगों के सामने मतदान के लिये जाऊंगा। इस देश में हम बहुत कुछ ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार ही उत्तरदायी शासन चला रहे हैं और इस प्रकार एक नई बात पैदा करने से मंत्रिमंडल बहुत कमजोर हो जायेगा और प्रांतीय धारा-सभा एक विच्छिन्न सभा हो जायेगी और वह प्रांत की भलाई की ओर ध्यान न दे सकेगी। इसलिये यद्यपि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली इतनी निर्दोष प्रतीत होती है कि कुछ लोग उसके लिये लालायित हैं, लेकिन कुछ देशों में इसी के कारण प्रजातंत्रात्मक संस्थायें समाप्त हो गई हैं। मि. अजीज अहमद खां का यह संशोध न वास्तव में प्रजातंत्र के लिये विध्वंसात्मक है। यदि आपके यहां प्रजातंत्रात्मक प्रणाली है तो आपको उसे इस ढंग से चलाना चाहिये कि यदि उसके विरुद्ध सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाये तो उसको इस्तीफा देने के लिये तैयार रहना चाहिये। यदि वह पदासीन रहता है तो इसका यही अर्थ है कि वह लोकमत की उपेक्षा करता है।

अब मुझे केवल एक तर्क के बारे में कहना है जिसे मेरे मित्र मि. खलीकुज्जमां ने इस सभा में उपस्थित किया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर को विस्तृत अधिकार दिये जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो मंत्रियों को और भी अधिक विस्तृत अधिकार दिये जाने चाहियें। इसमें सन्देह नहीं कि खण्ड 9 के अधीन, जिसे कि सभा ने स्वीकार कर लिया है, गवर्नर को कुछ ऐसे अधिकार दिये जायेंगे जो विवेक से प्रयोग में लाये जायेंगे। यह सभा अभी इन अधिकारों के विस्तार और उनकी सीमा से परिचित नहीं है। यह समझना चाहिये कि ऐसे प्रजातंत्रों में जो अभी शैशवावस्था में हैं और जिन्हें अभी अनुभव प्राप्त करना है, सार्वजनिक शांति खतरे में पड़ने की अवस्था में शांति स्थापना के लिये किसी व्यवस्था की, किसी मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता है और गवर्नर को जो विवेक से प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार दिये जायेंगे वे केवल उस काल के लिये हैं, जब सार्वजनिक शांति के लिये कोई बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया हो। यदि प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं

[श्री के.एम. मुंशी]

ठीक ढंग से चलें और यदि सार्वजनिक शांति किसी गंभीर संकट में न पड़े तो किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा और मंत्रिमंडल काम करता रहेगा। गवर्नर उसी समय हस्तक्षेप करेगा जब सार्वजनिक शांति गम्भीर संकट में पड़ जाये। ऐसी परिस्थिति में अन्य बातों की अपेक्षा सबसे पहले प्रांत की शांति की ओर ध्यान देना होगा। उस अवसर पर गवर्नर, जिसे प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुने जाने से और भी अधिक अधिकार प्राप्त होंगे, हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि मेरा प्रथम और अंतिम कर्त्तव्य यह है कि मैं प्रांत में शांति स्थापित करूं। कुछ प्रांतों में ऐसे अवसरों में जब कि वहां कि सार्वजनिक शांति खतरे ही में नहीं पड़ी बल्कि नष्ट-भ्रष्ट हो गई, वहां से सर्वोच्च अधिकारी के अपने अधिकारों को प्रयोग में न ला सकने के कारण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसी ही आकस्मिक परिस्थिति के लिये विवेक से प्रयोग में लाये जाने वाले अधिकार दिये गये हैं। जब तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जाये और वह शायद ही कभी उपस्थित हो—हमें आशा करनी चाहिये कि वह कभी उपस्थित न होगी—मंत्रिमंडल एक उत्तरदायी मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगा। मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखाई देता जिनकी बिना पर मैं सभा से इन संशोधनों को स्वीकार करने का आग्रह करूं। *(हर्षध्वनि)*

श्री फूल सिंह (संयुक्त प्रांत: जनरल): साहबे सदर, मुंशीसाहब की तकरीर के बाद मुझे उन तरमीमात के खिलाफ कुछ ज्यादा अर्ज नहीं करना है। बजुज इसके कि प्रपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन से चुनाव हो, वजारत कोएलिशन वजारत भी नहीं कही जा सकती है। कोएलिशन वजारत एक पार्टी के बाहमी समझौते की बिना पर हो सकती है। लेकिन जब पार्टी मेम्बरान की वोट से वजारत अपने आदमी चुने तो यह उन वजीरों पर रहा कि वह मिलकर काम करें या न करें और मौलवी अजीज अहमद साहब की तजवीज और बेगम साहिबा की तरमीम ने और भी कमी पूरी कर दी है; यानी अगर ऐसे चुने हुए वजीर आपस में लड़ते-झगड़ते ही रहें और जो एक वजीर करे दूसरा वजीर उसको मलियामेट करने में रहे, तो लेजिस्लेचर का यह भी अख्तियार न रहा कि वह उन वजीरों को हटा दे। यानी वजीर भला करें, या बुरा करें, मगर उस लेजिस्लेचर की तमाम उमर तक वह बने रहेंगे। यह बात तो बिलकुल करीने कयास नहीं हो सकती। मैं, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, उसके मुतल्लिक कोई ज्यादा हाउस का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। पार्टी गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हो सकती है। कोएलिशन

गवर्नमेंट किसी खास मकसद के लिये मुनासिब हो सकती है, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जो न पार्टी गवर्नमेंट हो न कोएलिशन गवर्नमेंट हो, किसी मकसद को पूरा करने के लिये नहीं हो सकती; बल्कि खास मकसद को नाकामयाब करने के लिये हो सकती है। मैं यह कहने में हिचकता नहीं कि ऐसी गवर्नमेंट से किसी मुल्क का भला होने का इमकान नहीं है और मैं यह कहने की जुर्रत कर सकता हूं कि शायद जिन साहिबान ने इन तरमीमात को पेश किया है उन्होंने हमारी इंटरिम गवर्नमेंट से क्लु लिया हो।

यह इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह मुसीबतों का शिकार रही है अगर उन्हीं मुसीबतों में इस मुल्क के हर सूबे को नहीं फांसना है तो हम सबका फर्ज है कि हम इन तरमीमात की ज़ोर से सब मुखालफत करें। अब कोई वक्त नहीं रहा कि हम इस तरह के फिजूल तजुर्बात में मुल्क का वक्त जाया करें। काफी कुर्बानियां हमको देनी पड़ी हैं और अब महज़ पार्टी गवर्नमेंट ही इस मुल्क का भला कर सकती है। इन चन्द अल्फाज के साथ मैं दोनों तरमीमात की मुखालिफत करता हूं।

***श्री शंकर दत्तात्रेय देव** (बंबई: जनरल): मैं बहस बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

***अध्यक्ष:** मेरे पास आधे दर्जन से अधिक सदस्यों के नाम हैं जिन्होंने बोलने का विचार प्रकट किया है।

***कई माननीय सदस्य:** बहस बन्द होनी चाहिये, बहस बन्द होनी चाहिये।

***अध्यक्ष:** यदि सभा यह चाहती है कि बहस बन्द कर दी जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहस बन्द करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं किसी एक सदस्य के पक्ष में नियम का अपवाद नहीं कर सकता। बहस बन्द करने का प्रस्ताव पेश हो चुका है। मैं इसे सभा के सामने रखता हूं।

बहस बन्द करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल:** श्रीमान्, इस निर्दोष खण्ड के कारण बहुत विस्तृत और विवादग्रस्त बहस छिड़ी है और फिर भी कुछ वक्ताओं को संतोष नहीं हुआ है। मैंने यह सोचा था कि इस खण्ड पर कुछ भी विवाद न

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

होगा। जिस प्रधान संशोधन का सुझाव किया गया है वह सारे विधान की जड़ पर ही आघात करता है। हमने इंगलैंड का पार्लियामेंटरी (परिषदात्मक) ढांचा अपनाया है अर्थात् इस अनुकरणीय प्रांतीय विधान में मंत्रिमंडल की प्रणाली को स्थान दिया है। संशोधन के प्रस्तावक एक भिन्न ढांचे की कल्पना करते हैं और यदि हम उसे स्वीकार कर लें तो हमें सारे विधान पर सम्भवत: फिर से विचार करना होगा। यह राय दी गई है कि पिछले कुछ वर्षों में हमें वर्तमान विधान का बहुत अनुभव हुआ है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है क्योंकि जिस विधान के अधीन हम काम कर रहे थे वह एक पेचीदा विधान था। उसमें चुनाव की प्रणाली, नौकरियों की प्रथा, गवर्नरों के अधिकार और तमाम तरह की रुकावटें इस प्रकार रखी गई थीं कि जब वह पास हुआ तो वाद-विवाद में यह मत प्रकट किया गया था कि किसी मनुष्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इस विधान के अनुसार कार्य कर सके और देवता भी इसमें सफल नहीं हो सकते। इसके बावजूद वे उस विधान को प्रयोग में लाये। उस विधान को प्रयोग में लाने में जो कठिनाइयां उपस्थित हुईं और हममें से कुछ लोगों को जो कटु अनुभव हुए वह मंत्रियों के चुनाव की प्रणाली या प्रधान मंत्री के अपने मंत्रियों को चुनने के अधिकार से नहीं हुए, बल्कि कई अन्य कारणों से हुए, जिनको बताकर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। इन प्रश्नों को उठाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। किसी कारण कुछ वक्ताओं ने इन प्रश्नों का उल्लेख किया है लेकिन मैं उस वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मंत्रियों के चुनाव की प्रथा इस विधान के सारे ढांचे के ही विपरीत है। उससे प्रजातंत्र की जड़ पर ही आघात होता है, इसलिये वह यहां ठीक नहीं बैठती। ऐसे विधान को प्रयोग में लाने में हमारा जो अनुभव होगा वह उस अनुभव से कहीं कटु होगा जो हमें वर्तमान विधान को प्रयोग में लाने में हुआ है। इसलिये मेरी राय में इस विधान में इस नवीनता को लाना बहुत खतरनाक होगा और उसे हमें न लाना चाहिये।

अब जहां तक पृथक या संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रश्न है, उन पर जैसा कि मैं आरम्भ में अपने भाषण में कह चुका हूं, एक पृथक कमेटी विचार करने वाली है। इसलिये अब मैं इन प्रश्नों को नहीं उठाना चाहता।

यह बताया गया है कि गवर्नर को बहुत विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। मेरे विचार से इस विधान में गवर्नर के उतने विस्तृत अधिकार नहीं हैं, जितने कि वर्तमान विधान के अधीन विदेशी गवर्नरों के हैं। वर्तमान विधान में केवल

यही नहीं है कि लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रौढ़ मतगणना के आधार पर चुने हुए गवर्नर नहीं हैं बल्कि विदेशी गवर्नर हैं जो आदेश-पत्र (इंस्ट्रुमेंट आफ इंस्ट्रक्शन्स) के अनुसार काम करते हैं। जिनका उद्देश्य विदेशी हितों की रक्षा करना है। इस विधान के प्रयोग में लाने से जो अनुभव हुए हैं उनकी तुलना प्रस्तावित विधान के अनुभवों से नहीं की जा सकती। इस विधान के प्रयोग में आने से हमें सुन्दर अनुभव होंगे या नहीं, या यह ठीक ढंग से चल सकेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर है कि हम इस विधान को किस ढंग से प्रयोग में लाते हैं। लोगों के विधानों का अन्त करने की इच्छा होने पर ही उनका अन्त होता है। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जब विधान इस प्रकार व्यवहार में लाया गया कि प्रधान मंत्री या कोई मंत्री सभा की अनुमति से न हटाया जा सका, तो उसे गोली मारकर हटा दिया गया। इसलिये यह कहने से कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रबन्धकारिणी जो न हटाई जा सके, सुरक्षित रहेगी। यदि स्थायी प्रबन्धकारिणी इस तरह से काम करती है तो लोग उसे खत्म करने के दूसरे तरीके ढूंढ निकालते हैं। हमें आवश्यकता है एक अच्छे विधान को व्यवहार में लाने की, सद्भावना की और जो कोई भी विधान हो उसे प्रयोग में लाने की भावना की।

हमने यहां सामूहिक उत्तरदायित्व, संयुक्त उत्तरदायित्व की कल्पना की है। संशोधन के प्रस्तावक ने जिस निर्वाचन प्रणाली का सुझाव किया है उससे केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्भव है और मंत्री अपने-अपने ढंग से काम करेंगे। प्रत्येक मंत्री केवल पांच, सात या दस वोटों को ध्यान में रखकर काम करेगा और सम्भवतः वह उन्हें ऐसे तरीकों से प्राप्त कर सकेगा जो उचित न समझे जायें और सारा ढांचा दूषित हो जायेगा। इसलिये मैं यह सिफारिश करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसे स्वीकार कर लिया जाये।

मैं अन्य संशोधनों को नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जैसा कि कुछ सदस्य बता चुके हैं, वे मुख्य संशोधन के विपरीत हैं। इसलिये संशोधनों को रद्द कर देना चाहिये और जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

***अध्यक्षः** यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि: ''गवर्नर के मंत्री गवर्नर द्वारा चुने जायेंगे और बुलाये जायेंगे और वे उसी काल तक पदासीन रहेंगे जब तक उनकी इच्छा हो।''

इसमें यह संशोधन पेश किया गया है कि खण्ड 12 की जगह निम्नलिखित रखा जाये:

[अध्यक्ष]

''गवर्नर के मंत्री प्रांतीय असेम्बली के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकाकी अहस्तान्तरित मतदान द्वारा चुनेंगे।''

इस संशोधन में दो संशोधन पेश किये गये हैं। पहला संशोधन यह है कि खण्ड 12 (मद 57) में मि. अजीज अहमद खां के संशोधन के अंत में ''और वे प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे'' शब्द जोड़ दिये जायें। दूसरा संशोधन यह है कि खण्ड 12 (मद 57) में मि. अजीज अहमद खां के संशोधन के अन्त में ''और वे असेम्बली के जीवनकाल तक पदासीन रहेंगे'' शब्द जोड़ दिये जायें।

मैं पहले यह करना चाहता हूं कि संशोधन में जो संशोधन पेश किये गये हैं उन पर वोट लूँ। यदि इन दो संशोधनों में से कोई भी स्वीकार कर लिया जाता है तो वह मुख्य संशोधन हो जाता है। फिर मैं संशोधित संशोधन पर वोट लूंगा और यदि वह स्वीकार कर लिया गया तो वह खण्ड का अंग हो जायेगा। इसके बाद मैं संशोधित खण्ड को सभा के सामने रखूंगा।

अब मैं संशोधन में जो संशोधन पेश किया गया है उस पर वोट लेता हूं। वह यह है कि संशोधन के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें:

''और वे प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होंगे।''

संशोधन रद्द कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधन में जो दूसरा संशोधन पेश किया गया है उस पर वोट लेता हूं। वह यह है कि संशोधन के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें:

''और वे असेम्बली के जीवनकाल तक पदासीन रहेंगे।''

प्रस्ताव रद्द कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं मि. अजीज अहमद खां के मूल संशोधन पर वोट लेता हूं।

संशोधन रद्द कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं मूल खण्ड पर वोट लेता हूं।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 13

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 13 पर विचार करेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** मैं खण्ड 13 पेश करता हूं:

''13 (1) यदि कोई मन्त्री बराबर छः महीने की अवधि तक प्रांतीय व्यवस्थापिका का सदस्य न रहा हो तो वह इस अवधि के समाप्त होने पर मन्त्री न रहेगा।

(2) मन्त्रियों के वेतन वही होंगे जो प्रांतीय व्यवस्थापिका समय-समय पर एक एक्ट द्वारा निश्चित करेगी और जब तक प्रांतीय व्यवस्थापिका उन्हें इस प्रकार निश्चित न करे, गवर्नर उन्हें निश्चित करेगा।:

परन्तु शर्त यह है कि किसी मन्त्री का वेतन उसके पद की अवधि तक नहीं बदला जायेगा।''

यह ऐसा प्रस्ताव है जिसमें शायद ही कुछ विवाद हो सकता है और मैं समझता हूं कि इस पर कोई बहस न होगी। मैं इस प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** मुझे कई संशोधनों की सूचना मिली है। मैं संशोधनकर्ताओं से अपने संशोधन पेश करने को कहता हूं।

(सर्वश्री आर.के. सिधवा, वी.सी. केशवराव और एच.वी. पातस्कर ने अपने संशोधन नं. 59, 60 और 61 पेश नहीं किये।)

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रांत और बरारः जनरल): मेरे संशोधन नं. 62 में यह कहा गया है कि मंत्रियों का वेतन गवर्नर के वेतन से अधिक नहीं होगा और वह गवर्नर के वेतन के समान भी न होगा। कल हमने एक बहुत ही उचित प्रस्ताव पास किया कि गवर्नर प्रौढ मतगणना के आधार पर चुना जाना चाहिये और यह कि उसे कुछ अधिकार भी दिये जाने चाहियें। वह प्रांत का सबसे पहला नागरिक होगा और यह समझना चाहिये कि उसकी अधिक प्रतिष्ठा हो गई है। इसलिये यह उचित ही है कि गवर्नर का वेतन उसके मंत्रियों के वेतन से कम न हो।

[श्री आर.के. सिधवा]

मुझसे यह कहा गया है कि यह एक सुन्दर संशोधन है लेकिन इसे विधान में स्थान देना उचित न होगा। इसलिये, श्रीमान् मैं उसे पेश नहीं करता हूं।

(श्री विश्वनाथ दास का संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** मुझे इन्हीं संशोधनों की सूचना मिली थी। मूल प्रस्ताव पर अब बहस हो सकती है। जो उस पर बोलना चाहते हैं वे अब बोल सकते हैं। कोई सज्जन नहीं बोलना चाहते। मैं अब उस पर वोट लूंगा।

खण्ड 13 स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 14

***अध्यक्षः** अब हम खण्ड 14 उठायेंगे।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं यह पेश करता हूं कि:

''अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके प्रति अपने व्यवहार के सम्बन्ध में गवर्नर का पथप्रदर्शन साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथायें करेंगी जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है। किन्तु गवर्नर के किसी कार्य के औचित्य पर इस कारण आपत्ति न की जायेगी कि वह इन प्रथाओं के अनुकूल नहीं, बल्कि विपरीत किया गया है।''

उत्तरदायी सरकार की प्रथाओं के अनुसार एक परिशिष्ट बना दिया जायेगा और यहां रख दिया जायेगा। यह भी कोई विवादग्रस्त विषय नहीं है और मैं इस प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** इस खण्ड में किसी भी संशोधन की सूचना मुझे नहीं दी गई है। जब तक कि कोई सदस्य इस पर बोलना न चाहे मैं इस पर वोट लूंगा।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुरः** मुझे एक व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति करनी है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि खण्ड को स्वीकार करने के पहले परिशिष्ट सभा के सामने रखा जाये?

***अध्यक्षः** विचार यह है कि मसविदा बनाने वाली कमेटी परिशिष्ट को तैयार करेगी और तब वह सभा में पेश किया जायेगा। केवल सैद्धांतिक रूप से उसे यहां स्थान दिया गया है।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुरः** इस खण्ड में एक परिशिष्ट का उल्लेख है और जब तक वह उसमें शामिल न किया जाए, तो क्या यह उचित है कि हम बिना परिशिष्ट को देखे हुए उसके सहित इस खण्ड को स्वीकार कर लें?

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, जब हम इस खण्ड को स्वीकार करेंगे तो हम केवल इस सिद्धांत की स्वीकृति देंगे कि कई बातें पूर्व प्रथाओं के अनुसार निश्चित की जायें। सभा के सामने इस समय केवल यही प्रस्ताव है। जहां तक परिशिष्ट का सम्बन्ध है, सदस्यों को यह आपत्ति करने की स्वतंत्रता है कि किसी प्रकार की भी प्रथा न होनी चाहिये। लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि आवश्यकता और अनुभव के अनुसार ये प्रथायें समय-समय पर बदल दी जायें, वरना बाद को हम यह कहेंगे कि यह एक लम्बा और पेचीदा तरीका है और हमें सारे विधान में ही परिवर्तन कर देने चाहियें। उद्देश्य यह है कि विधान में परिवर्तन न करके भी परिशिष्ट में परिवर्तन किये जा सकते हैं। जहां तक प्रथाओं का संबंध है परिशिष्ट अवश्य ही असेम्बली के सामने रखा जायेगा और सदस्यों को उसमें से कुछ निकाल देने या उसमें कुछ जोड़ने का अवसर मिलेगा। इस समय विचार यह है कि सभा से इस सिद्धांत की स्वीकृति ली जाये कि कुछ प्रथाओं को यहां परिशिष्ट के रूप में स्थान देना है, जिसे अनुभावनुसार बदला जा सकता है। बिना सभा में पेश किये हुए परिशिष्ट को स्थान नहीं दिया जायेगा।

***हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सईद** (मद्रासः मुस्लिम): मेरे विचार से जो तर्क मेरे मित्र ने पेश किया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि हम इस खण्ड को इसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम परिशिष्ट को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसमें परिशिष्ट का उल्लेख है। मैं यह कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति परिशिष्ट लिख दे और इसके साथ नत्थी कर दे तो इसका अर्थ अवश्य ही यह होगा कि वह स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वह इस सभा में पेश किया जायेगा। यह ठीक ही है। कोई भी बेरोक-टोक परिशिष्ट लिख सकता है और इसके साथ नत्थी कर सकता है।

[हाजी अब्दुल सत्तार हाजी इशहाक सईद]

इसीलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि परिशिष्ट का उल्लेख ही न होना चाहिये। वाक्य इस प्रकार है:

''अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके प्रति अपने व्यवहार के सम्बन्ध में गवर्नर का पथप्रदर्शन साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथायें करेंगी।''

यहीं पर इसे समाप्त कर दीजिये। यह न कहिये कि 'जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है।' आगे चल कर कहा गया है:

'किन्तु गवर्नर के किसी कार्य के औचित्य पर इस कारण आपत्ति न की जायेगी कि वह इन प्रथाओं के अनुकूल नहीं बल्कि विपरीत किया गया है।''

परिशिष्ट का बिलकुल उल्लेख ही न कीजिये। जब वह तैयार हो जाये तो उसे सभा के सामने रखा जा सकता है। इस प्रकार यह कठिनाई दूर हो सकती है और मेरी राय में ऐसा ही करना चाहिये।

***श्री एम.एस. अणे** (दक्षिणी रियासतें): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां रखा गया है उसका समर्थन करने में मैं कठिनाई का अनुभव कर रहा हूं। यह एक सर्वमान्य नियम है कि कोई भी प्रस्ताव जो सभा के सामने रखा जाये स्वावलम्बी हो और स्वव्याख्यात्मक भी हो। उसका जो अर्थ हो उसकी व्याख्या उसमें होनी चाहिये और उसमें कोई ऐसी न्यूनता न होनी चाहिये, जिसकी पूर्ति किसी अन्य ऐसी चीज से हो जो सभा के सामने पेश न की गई हो। मैं जानता हूं कि उद्देश्य यह है कि कुछ प्रथाओं का अनुसरण किया जाना चाहिये, लेकिन आप सभा के सामने यह प्रस्ताव नहीं रख सकते कि सभा इसको स्वीकार कर ले। मंत्रियों और गवर्नर और अन्य लोगों के आपस के व्यवहार में कुछ प्रथाओं का अनुकरण करना होगा। 'कुछ' शब्द से सारा प्रस्ताव अनिश्चित हो जाता है और एक अनिश्चित प्रस्ताव को आप सभा के सामने नहीं रख सकते । यह कठिनाई है। सबसे अच्छा यह होगा कि इसके साथ परिशिष्ट नत्थी कर दिया जाये और फिर बाद को यह प्रस्ताव सभा के सामने रखा जाये, क्योंकि जब परिशिष्ट ठीक तौर से तैयार हो जायेगा तो उसके लिये सभा की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन न होगा। तब

यह प्रस्ताव पूर्ण हो जायेगा और मैं नहीं समझता कि परिशिष्ट को पढ़ने के बाद सभा को उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई होगी। परन्तु इस रूप में इस प्रस्ताव को सभा के सामने रखने का अर्थ यह है कि आप उससे सादे चेक पर हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि उस परिशिष्ट में क्या होगा? यह कहा गया है कि वर्तमान आदेश-पत्र (इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शन्स) इस परिशिष्ट का स्थान ले लेगा? मुझे मालूम नहीं है कि जो कमेटी बैठ रही है वह वर्तमान आदेश-पत्र की शर्तों पर भी विचार करेगी कि नहीं। उस पर अभी विचार करना है। यह कमेटी इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई थी और मेरे विचार से कमेटी ने आदेश-पत्र पर भी विचार कर लिया होगा। यदि वह उससे संतुष्ट थी तो वह उसे परिशिष्ट के रूप में रख सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया जिसका अर्थ यह है कि कमेटी ने उसे पूर्णतः सम्मिलित करना ठीक नहीं समझा। ऐसी दशा में हम नहीं जानते हैं कि आदेश-पत्र का कौन-सा भाग सम्मिलित किया जायेगा।

ऐसी दशा में इस प्रस्ताव का अर्थ केवल यह है कि आदेश-पत्र में जिन प्रथाओं का उल्लेख है उन्हें यह सभा स्वीकार कर ले। कमेटी जो मसविदा तैयार करेगी उससे यह सभा परिचित नहीं है। इसलिये यह उचित नहीं है कि जिस रूप में यह प्रस्ताव रखा गया है उस रूप में सभा से उसे स्वीकार कर लेने को कहा जाये। इसलिये मेरी राय में यह अच्छा होगा कि प्रस्तावक महोदय इस समय इस प्रस्ताव को वापस ले लें और परिशिष्ट के तैयार हो जाने पर उसे सभा के सामने रखने का अधिकार सुरक्षित रखें।

***श्री महबूब अली बेग साहब बहादुरः** श्रीमान्, इस खण्ड 14 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस परिशिष्ट का उसमें उल्लेख है वह इस सभा के सामने उपस्थित किया जायेगा। उसमें केवल यह कहा गया है:

> **''अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनके प्रति अपने व्यवहार के सम्बन्ध में गवर्नर का पथप्रदर्शन साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथायें करेंगी जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है.....।''**

इसलिये पहले तो इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि यह परिशिष्ट कभी भी सभा के सामने रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त हाशिये में यह लिख दिया गया है कि उत्तरदायी सरकार की प्रथाओं का अनुकरण किया जाना चाहिये। हमें कम से कम यह मालूम होना चाहिये कि ये प्रथाएं क्या हैं और किस सरकार की प्रथाओं का अनुकरण किया जाना चाहिये? क्या वे स्विस सरकार की प्रथाएं होंगी

[श्री महबूब अली बेग साहब बहादुर]

या ब्रिटिश सरकार की, या भारतीय सरकारों की? या वे कोई ऐसी प्रथाएं होंगी जो अब बनेंगी? इसके अतिरिक्त नोट में कहा गया है कि ''यह परिशिष्ट इस समय गवर्नरों को जारी किये हुए आदेश-पत्र का स्थान ले लेगा।''

हम यह देखते हैं कि सारा प्रस्ताव अनिश्चित है। हमसे एक ऐसे प्रश्न पर वोट देने या विचार करने को कहा जा रहा है जिसके सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी परिशिष्ट से हम परिचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इसका कोई आश्वासन तक नहीं है कि यह परिशिष्ट हम लोगों के सामने रखा जायेगा। श्रीमान्, मेरे विचार से यह उचित नहीं है कि हमसे ऐसे प्रश्न पर इस समय विचार करने को कहा जाये। मेरी राय में इस खंड पर तभी विचार होना चाहिये जब परिशिष्ट तैयार हो जाये। उसके वर्तमान रूप में हमसे यह नहीं कहा गया है कि परिशिष्ट आदेश-पत्र ही होगा या उसीके समान होगा। यदि हमसे यह कहा जाता तो हमारे पथप्रदर्शन के लिये कुछ होता। हम कम से कम आदेश-पत्र का उल्लेख कर सकते और हम किसी निश्चित चीज पर विचार कर सकते। धैर्यवान सदस्य आदेश-पत्र को पढ़ते और वाद-विवाद में सहायता देते। लेकिन वर्तमान प्रस्ताव अपनी अनिश्चित और अस्पष्टता के कारण दोषपूर्ण है। जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले सज्जन कह चुके हैं वह स्वावलम्बी और स्वव्याख्यात्मक भी नहीं है।

***डा. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रांत और बरार: जनरल): श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस खण्ड के विरोध में जो आपत्तियां की गई हैं उनमें काफी बल है। जैसे यह रखा गया है उस रूप में इसे स्वीकार करना हमारे लिये असम्भव है। जब तक परिशिष्ट पेश नहीं होता है हम इस खण्ड को सिद्धांत की दृष्टि से भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सारा खण्ड वापस ले लिया जाये और जैसा कि श्री अणे ने कहा है, इसे बाद को किसी समय पेश किया जाये। मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि परिशिष्ट शब्द के साथ के कुछ शब्दों को निकाल देने से सब कुछ ठीक हो जायेगा। हम यह कह सकते हैं:

''.....उत्तरदायी सरकार की प्रथायें जिनका विवरण बाद को दिया जायेगा.....।''

यदि हम सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो शब्दों में बहुत कम परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरे विचार से इससे सब कुछ ठीक हो जायेगा और हमें एक ऐसे परिशिष्ट के लिये अपनी स्वीकृति देने की आवश्यकता न पड़ेगी जो हमारे सामने नहीं है। इससे यह भी तय हो जायेगा कि आगे चलकर आदेश-पत्र का जो अंश

भी हम सम्मिलित करना चाहें उसे हमारे सामने रखा जायेगा। हमें उन पर विचार करने के लिये काफी समय मिलेगा। मेरे विचार से मेरे इस छोटे से संशोधन से यहां जो कोई भी आपत्तियां की गई हैं वे सब दूर हो जायेंगी। बिना इस प्रकार संशोधित किये हुए हम किसी भी ऐसे अस्पष्ट और अनिश्चित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते।

***राय बहादुर श्यामनन्दन सहाय** (बिहार: जनरल): श्रीमान्, मैं नहीं समझ पाया हूं कि खण्ड 14 में किस स्थान पर अनिश्चितता है। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि साधारणत: उद्देश्य यह है कि सभा उन सिद्धांतों को स्वीकार कर ले जिनके आधार पर प्रांतीय विधान बनाया जायेगा। जहां तक इस खण्ड विशेष का सम्बन्ध है इसमें स्पष्टतया यह बता दिया गया है कि गवर्नर का पथप्रदर्शन साधारणतया उत्तरदायी सरकार की प्रथायें करेंगी जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है, इत्यादि। आगे चलकर उसमें कहा गया है कि यह परिशिष्ट इस समय गवर्नरों को जारी किये हुए आदेश-पत्र का स्थान ले लेगा। श्रीमान्, यह आदेश-पत्र प्रयोग में है और हममें से जिन लोगों ने इन आदेशों को देखा है वे इससे सहमत होंगे कि उसमें इस सम्बन्ध में आदेश है कि मंत्री कैसे चुने जायें। यह सब सन् 1935 ई. के कानून में दिया हुआ है।

***एक माननीय सदस्य:** उस कानून पर सभा विचार नहीं कर रही है।

***राय बहादुर श्यामनंदन सहाय:** प्रश्न यह नहीं है कि उस पर विचार हो रहा है कि नहीं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य साधारण सिद्धांतों को निर्धारित करना है और विचार यह है कि उनके सम्बन्ध में सभा का मत जान लिया जाये। हम बाद को यह प्रश्न उठा सकते हैं कि वर्तमान सिद्धांतों में और उनमें कुछ भेद है या नहीं। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं कि बहुसंख्यक दल से ही मंत्रिमंडल बनाने को कहा जाये तो मेरे विचार से खण्ड 14 पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

***श्री बी. पोकर साहब बहादुर:** श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि जैसा आदर इस समय इस सभा का किया जा रहा है उससे कुछ अधिक आदर किया जाये। इस खण्ड को सभा की स्वीकृति के लिये पेश करते समय यह कहकर कि परिशिष्ट बाद को उसके सामने रखा जायेगा, मेरे विचार से उसे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना कि उसे देना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि कुछ मामलों के बारे में इस सभा का अधिक आदर नहीं किया जाता है; क्योंकि हमसे यहां बैठकर ऐसे भाषणों को सुनने को कहा जाता है और ऐसी बातों को स्वीकार करने को कहा जाता है जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार यह खण्ड भी

[श्री बी. पोकर साहब बहादुर]

पेश किया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि परिशिष्ट बाद को पेश किया जायेगा, परन्तु इस समय यह खण्ड स्वीकार कर लिया जाये! प्रस्तावक महोदय स्वयं नहीं जानते हैं कि परिशिष्ट क्या है? मैं यह कहूंगा कि यह एक बिल्कुल अनियमित कार्यवाही है और श्रीमान्, आप इसे अनियमित ठहरा सकते हैं।

मैं केवल दो सदस्यों के सुझावों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मि. हाजी अब्दुल सत्तार ने यह कहा है कि परिशिष्ट शब्द निकाल दिया जाये और प्रथाएं शब्द रहने दिया जाये। मगर बिना यह जाने हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना कि ये प्रथाएं क्या हैं इस सभा के पक्ष में बहुत ही अनुचित और अनुत्तरदायी होगा। इनके पहले बोलने वाले वक्ता महोदय ने जिन संशोधनों का सुझाव किया है उनके बारे में भी यही बात कही जा सकती है। इसलिये श्रीमान्, चूंकि आप अध्यक्ष हैं इसलिये मैं आपसे अपील करता हूं कि आप श्री अणे की यह प्रार्थना स्वीकार करके कि इस खण्ड पर विचार स्थगित किया जाये, इस सभा के सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करें।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि हमसे एक परिशिष्ट को स्वीकार करने को कहा जा रहा है जो मौजूद ही नहीं है। एक वक्ता ने यह बताया है कि यह परिशिष्ट आदेश-पत्र के आधार पर होगा। परन्तु श्रीमान् की अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि नोट में केवल यह कहा गया है कि यह परिशिष्ट आदेश-पत्र का स्थान ले लेगा। इस तरह का कोई संकेत नहीं है कि परिशिष्ट आदेश-पत्र के आधार पर होगा या उसके समान होगा। श्रीमान्, इसका अर्थ यह है कि सभा से एक ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने को कहा जा रहा है, जिसकी न तो परिभाषा दी गई है और न यही बताया गया है कि वह क्या है। यह दूल्हे से ऐसा कहना है कि, यद्यपि दूल्हन मौजूद नहीं है, आप ब्याह कर लीजिये, परन्तु आपको वचन दिया जाता है कि वह बाद को चुनी जायेगी और आपको मिल जायेगी।

***श्री शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान्, यह सभा खण्ड 6 के उपखण्ड (3) को स्वीकार कर चुकी है जिसमें एक परिशिष्ट का उल्लेख है और वह यहां पेश नहीं किया गया। उस समय किसी सज्जन ने आपत्ति नहीं की। इसके अतिरिक्त माननीय प्रस्तावक महोदय ने आरम्भ में ही कह दिया था कि ये केवल सिद्धांत हैं और यह कि इनका ब्यौरा बाद को निश्चित किया जायेगा।

इसलिये मैं नही समझता कि इस खण्ड पर किसी प्रकार की आपत्ति की जा सकती है। ऐसी अनर्गल आपत्तियों को करके हमें सभा का समय नष्ट न करना चाहिये।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान्, मेरे विचार से इस प्रस्ताव के पक्ष में और इसके विरोध में बोलने वाले सदस्यों ने अच्छा तर्क उपस्थित किया है। उस परिशिष्ट की अनुपस्थिति में जो गवर्नरों को जारी किये हुए आदेश-पत्र का स्थान लेगा, मेरे विचार से यह प्रस्ताव अपूर्ण ही है। इसलिये श्रीमान्, मैं यह कहता हूं कि प्रस्तावक महोदय सरदार पटेल कृपा करके बतायें कि यह आदेश-पत्र क्या 'अब गवर्नरों को जारी किया गया है', अब शब्द से एक नई पेचीदगी पैदा हो जाती है। मुझे यह मालूम है कि लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के आने के पहले गवर्नरों को जो आदेश-पत्र का उल्लेख किया गया था वह सन् 1937 ई. में प्रयोग में आया। क्या उसी आदेश-पत्र का उल्लेख किया गया है या अब सरकार में परिवर्तन होने के बाद कोई नया आदेश-पत्र अब गवर्नरों को जारी किया गया है? 'अब' शब्द से यह प्रकट होता है कि कोई नया आदेश-पत्र जारी किया है, यद्यपि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। मेरे विचार से यहां तात्पर्य पुराने ही आदेश-पत्र से है और 'अब' शब्द या तो यहां संयोगवश आ गया है या मैं इसका गलत अर्थ लगा रहा हूं। जो भी हो, जब तक आदेश-पत्र का ब्यौरा न मालूम हो, इसे इस समय स्वीकार करना उचित न होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हम प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लें लेकिन उसके नीचे दिये हुए नोट को स्वीकार न करें। उसकी जगह हम यह कह सकते हैं कि परिशिष्ट पर बाद को विचार किया जायेगा। चूंकि हम अपने प्रांतीय विधान के केवल सिद्धांतों को ही स्वीकार कर रहे हैं इसलिये हम यह कह सकते हैं कि गवर्नरों के अमुक-अमुक अधिकार होंगे; जिनका विवरण परिशिष्ट में दिया हुआ है और जहां तक परिशिष्ट का सम्बन्ध है हम उस पर बाद को विचार कर सकते हैं। जब तक यह सभा उसे स्वीकार न करे वह नियमानुसार स्वीकृत परिशिष्ट नहीं कहा जा सकता है। उस पर हम बाद को विचार कर सकते हैं। परन्तु ये अधिकार हम गवर्नर को दे रहे हैं और उनका पूर्ण विवरण यहां नहीं दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि परिशिष्ट बाद को रखा जायेगा। इसलिये मेरे विचार से हम इसे बगैर नोट के स्वीकार कर सकते हैं। यह नोट निकाल दिया जा सकता है और इसकी जगह दूसरा नोट रखा जा सकता है या पूरे खण्ड पर विचार स्थगित किया जा सकता है। मेरे विचार से मेरे मित्रों की यह मांग ठीक ही है कि आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें। यह प्रस्तावक का कर्त्तव्य नहीं है कि वह प्रस्ताव को वापस ले या उस पर जोर

[श्री महावीर त्यागी]

दे। यह एक व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न है। आपको यह निर्णय करना है कि क्या परिशिष्ट की अनुपस्थिति में इस सभा के अधिकांश सदस्यों के लिये यह उचित होगा कि वे इस पर वोट लेने के लिये जोर दें क्योंकि सभा को बिना आदेश-पत्र के ठीक-ठीक शब्दों को जाने ही वोट देनी होगी। इसलिये श्रीमान्, मैं कहूंगा कि आपको इस व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न को हल करना है।

अध्यक्षः पहले एक बार जब इन नोटों के बारे में यह प्रश्न किया गया था कि ये नोट नियमित रूप से सभा के सामने नहीं रखे गये हैं तो सभा ने इनको स्वीकार नहीं किया था। उनका उद्देश्य केवल खण्डों के अर्थ की ओर संकेत करने का है और उनमें जो कुछ लिखा गया है वह हमारे लिये बाध्य नहीं हो सकता। इसलिये इन खण्डों पर बिना नोटों का उल्लेख किये हुए स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिये।

***एक माननीय सदस्यः** यह नोट का प्रश्न नहीं है। यह खण्ड का ही प्रश्न है।

***श्री राजकृष्ण बोस** (उड़ीसाः जनरल): श्रीमान्, चूंकि इस खण्ड को स्वीकार करने के बारे में बहुत सी आपत्तियां की गई हैं और चूंकि इनमें से कई सारगर्भित हैं, इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि बिना परिशिष्ट की बातें जाने हुए उसे सभा को स्वीकार न करना चाहिये। इसलिये मेरी राय में इस खण्ड को भी खण्ड 8 की तरह वापस भेज देना चाहिये और इसका नया मसविदा कल सभा के सामने पेश किया जाये, ताकि जो सदस्य इससे सहमत नहीं हैं उनकी आपत्तियां दूर हो जायें।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मुझे यह दिखाई देता है कि इस स्मृति-पत्र पर विचार करने का प्रस्ताव करते समय जो बातें मैंनें कही थीं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वरना मेरी समझ में नहीं आता कि यह आपत्ति क्यों की गई है? मैं कई बार कह चुका हूं कि इस स्मृति-पत्र में केवल सिद्धांतों का उल्लेख है और यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा तो मसविदा बाद को तैयार होगा। यह सुझाव किया गया है कि इसका कोई आश्वासन नहीं है कि यह परिशिष्ट सभा के सामने रखा जायेगा। यह उतना ही निश्चित है जितनी यह बात है कि कल इस सभा की बैठक होगी। इस खण्ड में यह कहा गया है कि एक परिशिष्ट होगा। जब वह तैयार हो जायेगा तो वह बाद

को पेश किया जायेगा। परिशिष्ट मसविदे के साथ होगा और जब वह सभा के सामने पेश किया जायेगा तो उसकी जांच करने, उसमें कुछ जोड़ने या उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिये काफी अवसर मिलेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सिद्धांत किस प्रकार अनुचित कहा जा सकता है। आपको एक सिद्धांत को स्वीकार करना है और जिस रूप में यह खण्ड रखा गया है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह न्यायोचित है। आपको हर एक बात के लिये आश्वासन नहीं दिया जा सकता। यह एक बहुत साधारण बात है और इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सभा का आदर किया जाना चाहिये। मेरे विचार से यहां की बहस का अधिक आदर किया जाना चाहिये। यदि यहां की बहस अधिक गम्भीरता से सुनी जाती तो इस खण्ड पर कुछ वाद-विवाद ही न होता। यह एक साधारण प्रस्ताव है और उसमें यह कहा गया है कि गवर्नर प्रथाओं का अनुसरण करेगा और उनके बारें में बाद को एक परिशिष्ट रखा जायेगा। आप जानते हैं कि गवर्नर पर न्यायाधीशों के सम्मुख दोषारोपण किया जा सकता है और उसे यह समझना है कि उसे एक विशेष उत्तरदायित्व को लेकर काम करना है और अपने कर्त्तव्यों को समझना है। इसलिये परिशिष्ट में उन निश्चित कर्त्तव्यों का उल्लेख होना चाहिये जिनका कि उसे पालन करना है। इसलिये उन प्रथाओं का विस्तृत विवरण देना आवश्यक है। साधारण सिद्धांतों को निश्चित करते समय हमने इन प्रथाओं का ब्यौरा नहीं दिया है और इसलिये वह बाद को पेश किया जायेगा। उस समय आपको उस पर बहस करने का काफी अवसर मिलेगा। इस समय इस खण्ड को स्थगित करने का मुझे कोई भी कारण नहीं दिखाई देता। नोट खंड का अंग नहीं है। वह केवल व्याख्या के उद्देश्य से रखा गया है। आप चाहें तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। आप उस पर तनिक भी विचार न करें।

***श्री महावीर त्यागी:** अब चूंकि नोट रद्द कर दिया गया है इसलिये कोई व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता। नोट के कारण ही भ्रम हो गया था।

***अध्यक्ष:** वास्तव में इन कागजों में कोई भी नोट सभा में पेश होने वाले किसी प्रस्ताव का अंग नहीं है। प्रश्न यह है कि:

''खण्ड 14 स्वीकार कर लिया जाए।''

***श्री बी. पोकर साहब बहादुरः** श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी। मैंने एक व्यवस्था-सम्बन्धी आपत्ति की थी और आपका यह कर्त्तव्य है कि आप इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दें कि यह प्रस्ताव नियमित है या नहीं। खण्ड पर वोट लेने के पहले मैं इस सम्बन्ध में आपका निर्णय जानना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** मेरे विचार से कोई व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठता। प्रस्ताव पेश किया गया है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 15

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से खण्ड 15 पर उस समय तक विचार न किया जाये जब तक कि खण्ड 20 और 22 पर विचार न हो जाये; क्योंकि उस पर उसी समय विचार करना उचित होगा। इसलिये मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि खण्ड 15 पर विचार स्थगित किया जाये।

***अध्यक्षः** खण्ड 15 पर विचार स्थगित किया जाता है।

खण्ड 16

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, मैं खण्ड 16 को पेश करता हूं:

''(1) गवर्नर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी हाइकोर्ट का न्यायाधीश होने योग्य हो प्रांत के लिये एडवोकेट-जनरल नियुक्त करेगा जो प्रांतीय सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा।

(2) प्रधान-मन्त्री के इस्तीफा देने पर एडवोकेट-जनरल अवकाश ग्रहण कर लेगा किन्तु नये एडवोकेट-जनरल के नियुक्त होने तक अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकेगा।

(3) एडवोकेट-जनरल वही वेतन पायेगा जिसे गवर्नर-जनरल निश्चित करे।''

(सर्वश्री पी. कक्कन, एम. अनन्तशयनम् आयंगर, एच.वी. पातस्कर, के. सन्तानम् और गुप्त नाथ सिंह ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है कि, खण्ड 16 स्वीकार कर लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 17

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं खण्ड 17 पेश करता हूं:

''किसी प्रांत के शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्य का संचालन गवर्नर के नाम से होगा।''

यह केवल एक रस्मी प्रस्ताव है और मैं इसे सभा की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगरः** श्रीमान्, मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार कर लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

खण्ड 18

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेलः** श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं खण्ड 18 पेश करना चाहता हूं:

''प्रांतीय सरकार के कार्य का संचालन अधिक सुविधाजनक रूप से करने और मंत्रियों के बीच कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में गवर्नर नियम बनायेगा।''

(सर्वश्री कालावेंकटराव, एम. अनन्तशयनम् आयंगर और आर.के. सिधवा ने अपने संशोधन पेश नहीं किये।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है कि खण्ड 18 स्वीकार कर लिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

इसके बाद परिषद् शुक्रवार 18 जुलाई सन् 1947 ई. को दिन के तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई।